रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04112026-277652
CG-DL-E-04112026-277652

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5677] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 29, 2026/कार्तिक 7, 1948
No. 5677] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 29, 2026/KARTIKA 7, 1948

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5909(अ).— केंद्र सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) के साथ पठित उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्तावित निम्नलिखित प्रारुप अधिसूचना को जारी करने का प्रस्ताव करती है, इसके द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) की अपेक्षानुसार इससे प्रभावित होने वाली जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है; और एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारुप अधिसूचना पर उस तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद विचार किया जाएगा जिस तारीख को इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं।

ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो इस प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, वह उसे लिखित रूप में केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या इस मंत्रालय के ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर भेज सकता है।

प्रारुप अधिसूचना

जबकि, बादलखोल वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ राज्य के जशपुर जिले की बगीचा तहसील में स्थित है। यह अभयारण्य एक महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है, जो अपने समृद्ध पर्यावास एवं विविध प्रकार की वनस्पतियों और जीव-जंतुओं के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें स्तनधारी, पक्षी, उभयचर, सरीसृप, मछलियाँ, विभिन्न प्रकार की तितलियाँ एवं अन्य कीट सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, यहाँ छुरी फॉल एवं गुलू फॉल जैसे अनेक जलप्रपात भी स्थित हैं, जो प्राकृतिक परिदृश्य की रमणीयता एवं प्राकृतिक सौंदर्य में और अधिक वृद्धि करते हैं। यह 104.454 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह वन्यजीव अभयारण्य 22°51'12" उ से 23°01'53.10" उ अक्षांश **तथा** 83°42'58" पू से 83°58'24.70" पू देशांतर के मध्य स्थित है।

और जबकि, उक्त अभयारण्य में आर्द्र एवं शुष्क उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों, सदाबहार साल वनों तथा बहुमूल्य सागौन वनों का मिश्रण पाया जाता है, जिनमें *शोरिया रोबस्टा, टर्मिनेलिया टोमेंटोसा, एनोजिसस लैटिफोलिया, बोसवेलिया सेराटा, बासिया लैटिफोलिया, प्टेरोकार्पस मार्सुपियम, टर्मिनेलिया चेबुला, डायोस्पाइरोस मेलानॉक्सिलोन, स्टर्कुलिया यूरेन्स, कैसिया फिस्टुला, टर्मिनेलिया बेलेरिका, टर्मिनेलिया अर्जुना, डायोस्पाइरोस कॉर्डिफोलिया, फाइकस ग्लोमेराटा, एडिना कॉर्डिफोलिया, मित्राजाइना पार्विफोलिया, सिजीजियम क्यूमिनी, फाइकस विरेंस, कोक्लोस्पर्मम रेलिजियोसम, एगल मार्मेलोस, फाइकस बेंगालेंसिस, फाइकस रेलिजियोसा, एम्ब्लिका ऑफिसिनैलिस, श्लाइकेरा ओलियोसा* आदि प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

और जबकि, अभयारण्य में विभिन्न प्रकार के स्तनधारी पाए जाते हैं जैसे हाथी (*एलिफस मैक्सिमस इंडिकस*), स्लॉथ भालू (*मेलर्सस उर्सिनस*), सामान्य तेंदुआ (*पैंथेरा पार्डस*), भारतीय गौर (*बोस गौरस*), जंगली सूअर (*सस स्क्रोफा*), चित्तीदार हिरण (*एक्सिस*), काकड़/भौंकने वाला हिरण (*मुंटियाकस मंटजैक*), साही (*हिस्ट्रिक्स इंडिका*), लकड़बग्घा (*हाइना हायना*), सियार (*कैनिस ऑरियस*), छोटी भारतीय बिज्जू बिल्ली/सिवेट (*विवेरिकुला इंडिका*) आदि।

और जबकि, पारिस्थितिक, पर्यावरणीय एवं जैव-विविधता की दृष्टि से बादलखोल वन्यजीव अभयारण्य के आसपास इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल, विस्तार एवं सीमा वाले क्षेत्र को पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के रूप में संरक्षित एवं सुरक्षित करना आवश्यक है तथा उक्त पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में उद्योगों अथवा उद्योगों के किसी वर्ग तथा उनके संचालन एवं प्रक्रियाओं को प्रतिबंधित करना आवश्यक है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य में बादलखोल वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा के आसपास 1 से 4 किलोमीटर के क्षेत्र को बादलखोल वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी-संवेदी जोन (जिसे इसके बाद पारिस्थितिकी-संवेदी जोन कहा जाएगा) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1.पारिस्थितिकी-संवेदी ज़ोन का विस्तार और सीमाएं-(1) छत्तीसगढ़ स्थित बादलखोल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर पारिस्थितिकी-संवेदी ज़ोन का विस्तार 1 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक है। पारिस्थितिकी-संवेदी ज़ोन का कुल क्षेत्रफल 110.08 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 45.03 वर्ग किलोमीटर आरक्षित एवं संरक्षित

वन क्षेत्र तथा 65.045 वर्ग किलोमीटर राजस्व क्षेत्र है। विभिन्न दिशाओं में पारिस्थितिकी-संवेदी ज़ोन का विस्तार नीचे दी गई सारणी में दर्शाया गया है:

उत्तर	1- 4 किलोमीटर
उत्तर पूर्व	1- 4 किलोमीटर
पूर्व	1- 2.5 किलोमीटर
दक्षिण –पूर्व	1- 2.5 किलोमीटर
दक्षिण	1- 4 किलोमीटर
दक्षिण –पश्चिम	1- 3.6 किलोमीटर
पश्चिम	1- 2.7 किलोमीटर
उत्तर-पश्चिम	1- 3.5 किलोमीटर

(2) पारिस्थितिकी-संवेदी ज़ोन की सीमा का विवरण **अनुलग्नक-I** में संलग्न है।

(3) पारिस्थितिकी-संवेदी ज़ोन के मानचित्र, सीमा के विवरण सहित, **अनुलग्नक-II क, अनुलग्नक-II ख तथा अनुलग्नक-II ग** में संलग्न हैं।

(4) संरक्षित क्षेत्र तथा उसके पारिस्थितिकी-संवेदी ज़ोन के भू-निर्देशांक **अनुलग्नक-III** में दिए गए हैं।

(5) पारिस्थितिकी-संवेदी ज़ोन के अधीन आने वाले 24 ग्रामों की सूची **अनुलग्नक-IV** में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी-संवेदी ज़ोन के लिए आंचलिक महायोजना. –

(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने की अधिसूचना में दी गई शर्तों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक- संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

(3) इस आंचलिक महायोजना को राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार किया जाएगा , ताकि इस योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण सम्बंधी दृष्टिकोणों को एकीकृत किया जा सके: -

i. पर्यावरण विभाग;
ii. वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग;
iii. वन्यजीव विभाग;
iv. नगरीय विकास विभाग;
v. पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग;
vi. पर्यटन विभाग;
vii. राजस्व विभाग;
viii. कृषि विभाग;
ix. छत्तीसगढ़ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;
x. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग;
xi. नगरपालिका; तथा
xii. लोक निर्माण एवं राजमार्ग विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा जब तक इस अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हो, तथा आचंलिक महायोजना की सभी अवसंरचनाओं और उसके क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना, वनों की कटाई से प्रभावित क्षेत्रों के पुर्नस्थापन, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं का उपाबंध किया जाएगा, जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, उपजाऊ भूमि, उद्यानों और उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा, सहायक मानचित्रों के साथ जिनमें विद्यमान तथा प्रस्तावित भू-उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों का निर्धारण किया जाएगा।

(7) इस आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के विकास को विनियमित किया जायेगा और पैरा 4 में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन किया जाएगा और स्थानीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित किया जाएगा और उसका संवर्धन किया जायेगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना, इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसरण में निगरानी कार्यों को पूरा करने के लिए निगरानी समिति के लिए संदर्भ दस्तावेज होगा।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय. - राज्य सरकार अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्: -

(1) भू-उपयोग. – (क) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का मुख्य वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी:

बशर्ते कि निगरानी समिति की सिफारिश पर केंद्र तथा राज्य सरकार के शहरी नियोजन अधिनियम तथा अन्य नियमों एवं विनियमों यथा लागू, के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के पूर्व अनुमोदन से पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भीतर कृषि और अन्य भूमि के गैर कृषि उपयोग के रुपान्तरण को स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं और क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुमति दी गई है, जैसे,-

(i) मौजूदा सड़कों को चौड़ा और मजबूत करना और नई सड़कों का निर्माण करना;

(ii) अवसंरचना और नागरिक सुविधाओं का सन्निर्माण और नवीनीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग सहित ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास; और

(v) पैराग्राफ-4 में यथा उल्लिखित संवर्धित क्रियाकलापः

परंतु यह भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना और संविधान के अनुच्छेद 244 या अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) सहित वर्तमान में लागू विधियों के उपबंधों के अनुपालन के बिना वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि के किसी भी उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के अधीन आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा

और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा:

(ख)अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के कार्यकलापों से पुन: वनीकरण किए जाने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत. - आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक झरनों/नदियों/नालों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा जल ग्रहण प्रबंधन योजना इस प्रकार बनाई जाएगी कि इस क्षेत्रो और इसके आसपास के क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिबंधित किया जाएगा ,जो इन क्षेत्रों के लिए हानिकारक हों।

(3) पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन. – (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या वर्तमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन से सबंधित पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा।

(ख) पर्यटन महायोजना, राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्: -

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें से जो भी अधिक निकट हो, किसी नए होटल या रिजॉर्ट के निर्माण को अनुमति नहीं दी जाएगी;

बशर्ते कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किमी. की दूरी के बाद पारिस्थितिकी-संवेदी जोन की सीमा तक नए होटलों और रिज़ॉर्ट्स् की स्थापना की अनुमति आंचलिक महायोजना के अनुसार केवल पारि-पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व –परिभाषित और नामित क्षेत्रों में ही दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या वर्तमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों तथा पारि-पर्यटन, पारि-शिक्षा और पारि-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारि-पर्यटन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांत (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) जब तक इस आंचलिक महायोजना को अनुमोदित नहीं कर दिया जाता तब तक पर्यटन के विकास और वर्तमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार की कोई भी अनुमति संबंधित विनियामक प्राधिकरणों के द्वारा ही दी जाएगी, जो कि निगरानी समिति की वास्तविक स्थल विशिष्ट वास्तविक संवीक्षा और संस्तुति पर आधारित होगी और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल, रिजॉर्ट या वाणिज्यिक स्थापना के निर्माण की अनुमति नहीं होगी।

(4) नैसर्गिक विरासत.– पारिस्थितिकी संवेदी जोन में बहुमूल्य नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थल.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृतियों ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों अथवा आस –पास के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में तैयार की जाएगी।

(6) ध्वनि प्रदूषण.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का अनुपालन पर्यावरण अधिनियम (संरक्षण), 1986 के अधीन तथा समय समय पर यथा संशोधित ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएंगा।

(7) वायु प्रदूषण. - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण का अनुपालन वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियम तथा उनमें संशोधन के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(8) बहिस्राव का निस्सरण. - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण समय समय पर यथा संशोधित, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) पर्यावरण अधिनियम (संरक्षण), 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(9) ठोस अपशिष्ट. - ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा: -

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 08 अप्रैल, 2016 के अधीन प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर अभिज्ञात किए गए स्थान पर पर्यावरणीय स्वीकार्य रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए वर्तमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट के सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन(ईएसएम) की अनुमति दी जा सकती है।

(10) जैव चिकित्सा अपशिष्ट पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्या सा.का.नि.343(अ), तारीख 28 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में अभिज्ञात प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए वर्तमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट को सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) की अनुमति दी जाएगी।

(11) प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन– पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, समय-समय पर यथासंशोधित; अधिसूचना संख्या सा.का.नि.340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अधीन किया जाएगा;

(12) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन- पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्या सा.का.नि.317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अधीन किया जाएगा;

(13) **ई–अपशिष्ट –** पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित समय-समय पर यथासंशोधित; ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, के उपबंधों के अधीन किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात -** सड़क-यातायात को पर्यावास अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष प्रावधान सम्मिलित किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण. –** वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण लागू कानूनों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छ ईंधन जैसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां**.-(क) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन तक या उसके पश्चात् पारिस्थितिक-संवेदी जोन के भीतर किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुमत किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों का संवर्धन किया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण -**पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा :-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं होगी;

(ख) जिन विद्यमान ढलानों या खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं होगी।

4. पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची .-पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) और उसके अधीन निर्मित नियमों तथा पूर्ववर्ती पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा तारीख 14 सितंबर, 2006 को संख्या 1533(अ) के अधीन पर्यावरण, वन और वन्यजीवों से संबंधित भारत सरकार की अन्य अधिसूचनाओं, विधियों तथा समय-समय पर उसमें किए गए संशोधनों के उपबंधों द्वारा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट तरीके से लागू होगें ; अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं .	क्रियाकलाप	टिप्पणी
	क . प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और पिसाई इकाइयां।	(क) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में घरों के निर्माण या मरम्मत के लिए खुदाई सहित वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू जरूरतों को पूरा करने के अलावा, सभी नए और मौजूदा (लघु और प्रमुख खनिज), पत्थर खनन और पेराई इकाइयों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होगा; (ख) खनन कार्य माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 4 अगस्त, 2006 के आदेश (टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ के मामले में, रिट याचिका संख्या 202/1995) और तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश (गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में, रिट याचिका संख्या 435/2012); और आईए संख्या 1000 वर्ष 2003 तारीख 03 जून, 2022। आईए संख्या 131377 वर्ष 2022, तारीख 26 अप्रैल, 2023 और 28 अप्रैल, 2023 के निर्णय और आईए संख्या 162023, 162034, 162154 और 162155 वर्ष 2025 में तारीख 23 जुलाई 2025 के बाद के निर्णय या खनन के संबंध में कोई और आदेश के अनुसार किए जाएंगे।
(2)	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योगों की स्थापना और मौजूदा प्रदूषणकारी उद्योगों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। मौजूदा उद्योगों को प्रदूषण रोकथाम तकनीक और ध्वनि अवरोधक लगाने होंगे।
(3)	बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	प्रतिषिद्ध ।
(4)	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण।	प्रतिषिद्ध ।

(5)	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अशोधित बहिस्रावों का निस्सरण।	प्रतिषिद्ध ।
(6)	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई या मौजूदा आरा मिलों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी।
(7)	ईंट भट्टों की स्थापना।	प्रतिषिद्ध ।
(8)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	प्रतिषिद्ध ।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
(9)	होटलों और रिज़ॉर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु व अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी-संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए होटलों, रिसोर्टों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के स्थापना की अनुमति नहीं होगी: बशर्ते कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी-संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, पर्यटन महायोजना और लागू मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी ।
(10)	विनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर दायरे में या पारिस्थितिकी-संवेदी जोन की सीमा तक, जो भी निकटतम हो, किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी: बशर्ते, स्थानीय लोगों को स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भवन उप-नियमों के अनुसार पैराग्राफ 3 के उप-पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि पर निर्माण कार्य करने की अनुमति दी जा सकेगी: बशर्ते यह और कि प्रदूषण न फैलाने वाले लघु उद्योगों से संबंधित निर्माण संबंधी क्रियाकलापों को प्रयोज्य नियमों और विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार तथा सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन से विनियमित किया जाएगा और न्यूनतम ही रखा जाएगा। (ख) एक किलोमीटर के दायरे से आगे इसे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
(11)	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी 2016, में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार और अपरिसंकटमय, लघु पैमाने के और सेवा उद्योग, उद्यान कृषि या पुष्प कृषि या कृषि पारिस्थितिकी संवेदी जोन की देशज सामग्री से उत्पादों का उत्पादन करने वाले कृषि आधारित उद्योग को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी जाएगी।

(12)	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी, राजस्व या निजी भूमि पर से वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई को संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
(13)	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
(14)	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार- बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाए)।
(15)	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार शमन के उपाय किये जाएगे।
(16)	मौजूदा सड़कों का चौडा और पक्का करना तथा नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा उपलब्ध मार्ग दर्शक सिद्धांतों के अधीन शमन उपाय किए जाएंगे।
(17)	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलापों जैसे वायुयान, हॉट एयर बैलून, हेलिकॉप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स आदि द्वारा संरक्षित क्षेत्र और पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ने के क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
(18)	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
(19)	रात के समय वाहनों का आवागमन।	लागू विधियों के अधीन व्यावसायिक उद्देश्य के लिए विनियमित।
(20)	स्थानीय समुदायों द्वारा कृषि और बागवानी की चल रही प्रथाएँ, साथ ही डेयरी, दुग्ध पालन, जलीय कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुमत होंगे।
(21)	फर्मों, कंपनियों, कॉरपोरेट्स द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन और कुक्कुट फार्मों इत्यादि की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के अलावा लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगें।
(22)	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/अपशिष्टों का निर्वहन।	उपचारित अपशिष्ट जल या अपशिष्टों को जल निकायों में जाने से रोका जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा, अनुपचारित

		अपशिष्ट जल/अपशिष्टों के निर्वहन को लागू विधियों के अधीन विनियमित किया जाएगा।
(23)	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित।
(24)	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुला कुआँ, बोरवेल आदि।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित।
(25)	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित।
(26)	विदेशी प्रजातियों का समावेशन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
(27)	पारिस्थितिकी-पर्यटन	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
(28)	व्यावसायिक साइन बोर्ड और होर्डिंग्स।	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
(29)	कृषि प्रणालियों में आमूल-चूल परिवर्तन	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
(30)	पॉलिथीन बैग का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
(31)	होटल और लॉज के परिसर की बाड़ लगाना	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
(32)	वायु, वाहन और ध्वनि प्रदूषण	लागू विधियों के अधीन विनियमित।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
(33)	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा ।
(34)	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
(35)	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
(36)	ग्रामीण दस्तकार सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा ।
(37)	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	बायो-गैस, सौर ऊर्जा इत्यादि को सक्रिय संवर्धन किया जाएगा ।
(38)	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
(39)	बागवानी और औषधीय पौधों का रोपण।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।

(40)	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
(41)	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
(42)	अवक्रमित भूमि या वनों या पर्यावासों की पुनर्बहाली।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।
(43)	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से संवर्धन किया जाएगा।

5. निगरानी समिति - केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपाबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए निम्नलिखित सदस्यों वाली एक निगरानी समिति का गठन करती है; अर्थात्:-

क्र.सं.	निगरानी समिति के घटक	पदनाम
1.	जिला कलेक्टर, जशपुर	अध्यक्ष, *पदेन*;
2.	पर्यावरण या वन्यजीव (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्येक तीन वर्ष में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा	सदस्य
3.	पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से एक विशेषज्ञ, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्येक तीन वर्ष में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा	सदस्य
4.	छत्तीसगढ़ राज्य जैव-विविधता बोर्ड के सदस्य सचिव अथवा उनके प्रतिनिधि।	सदस्य, *पदेन*;
5.	जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जशपुर	सदस्य, *पदेन*;
6.	कार्यकारी अभियंता या प्रतिनिधि, लोक निर्माण एवं लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जशपुर	सदस्य, *पदेन*;
7.	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड के कार्यकारी अभियंता या प्रतिनिधि	सदस्य, *पदेन*;
8.	नगर और ग्राम नियोजन विभाग के प्रतिनिधि।	सदस्य, *पदेन*;
9.	संबंधित वन अधिकारी, बदालखोल वन्यजीव अभ्यारण्य	सदस्य, *पदेन*;
10.	उप निदेशक, हाथी रिज़र्व सरगुजा	सदस्य सचिव, *पदेन*;

6. निगरानी समिति के कार्य:-

(1) निगरानी समिति, वास्तविक स्थल-विशिष्ट स्थितियों के आधार पर, का.आ. 1553 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 द्वारा भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना की अनुसूची में सम्मिलित तथा पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में आने वाले क्रियाकलापों, किन्तु पैराग्राफ 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, तथा जो उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के

लिए, जैसा भी मामला हो, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण को संदर्भित की गई हों, की संवीक्षा करेगी।

(2) भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ), दिनांक 14 सितम्बर, 2006 द्वारा की अनुसूची में उल्लिखित नहीं होने वाली तथा पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में आने वाली गतिविधियों का इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोडकर स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को संदर्भित किया जाएगा।

(3) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन ऐसे किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा जो इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करता है।

(4) निगरानी समिति मामला-दर-मामला आधार पर आवश्यकताओं के आधार पर अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग से प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संगमों या संबंधित पणधारियों के प्रतिनिधि को आमंत्रित कर सकती है।

(5) निगरानी समिति इस अधिसूचना के **अनुलग्नक-V** में विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा के अनुसार प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव संरक्षक को प्रस्तुत करेगी।

(6) केन्द्र सरकार, निगरानी समिति को उसके कार्य-कलापों के प्रभावी निर्वहन के लिए लिखित में ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

7. अतिरिक्त उपाय. - इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय के आदेश आदि - इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित या पारित किए जाने वाले आदेशों के अधीन होंगे।

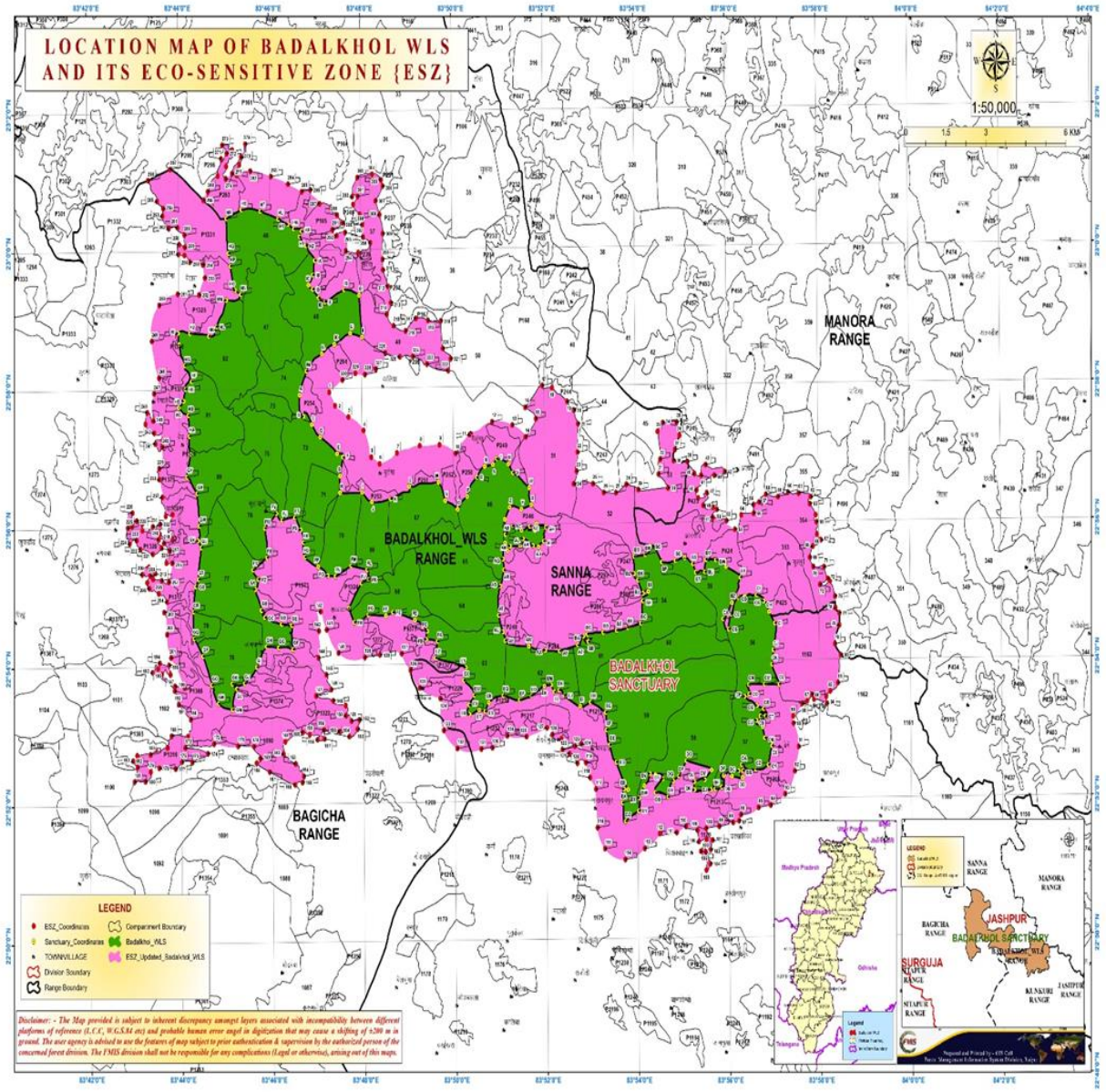
अनुलग्नक –I

बादलखोल वन्यजीव अभयारण्य के आसपास पारिस्थितिकी-संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर	गांव- बुटुंगा, गेलुंगा, सरहपानी, बथानटोल, कलिया और बछरांव
उत्तर-पूर्व	गांव- झरगांव और गुल्लू
पूर्व	गांव - चटकपुर
दक्षिण-पूर्व	गांव- चिटकवैन और जटाकोना
दक्षिण	गांव- बोदालता, बरदंड, जरहाटोटली, दर्रीटोला, कुहापानी और बंसधार
दक्षिण-पश्चिम	गांव - दहीडांड, विजयनगर
पश्चिम	गांव- बेवराटोली, बेंद, सुतरी, बेतरा, रेंगले
उत्तर-पश्चिम	गांव- दुवारी

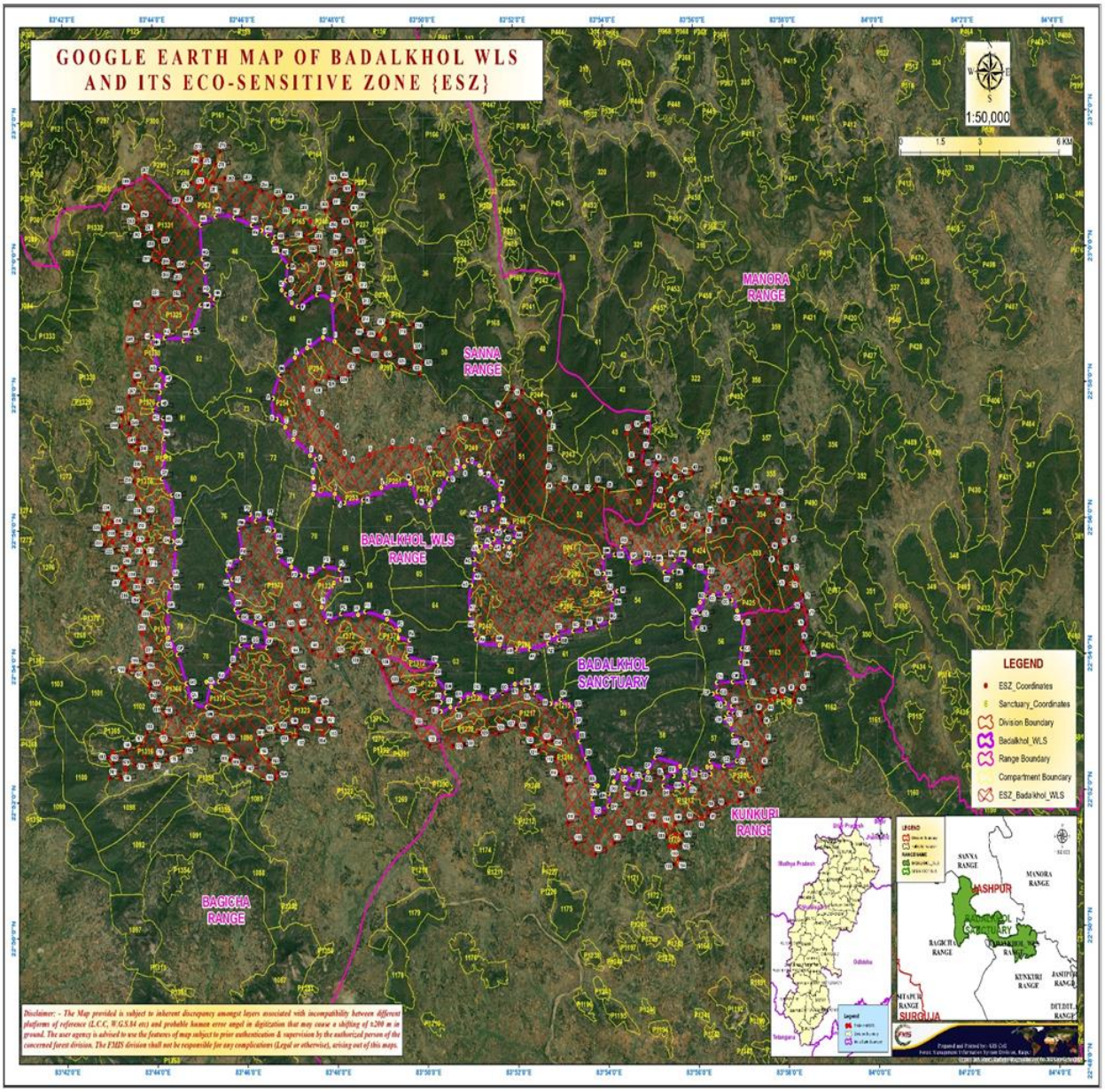
अनुलग्नक –IIक

बादलखोल वन्यजीव अभयारण्य के आसपास पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के प्रमुख बिंदुओं को दर्शाने वाला मानचित्र



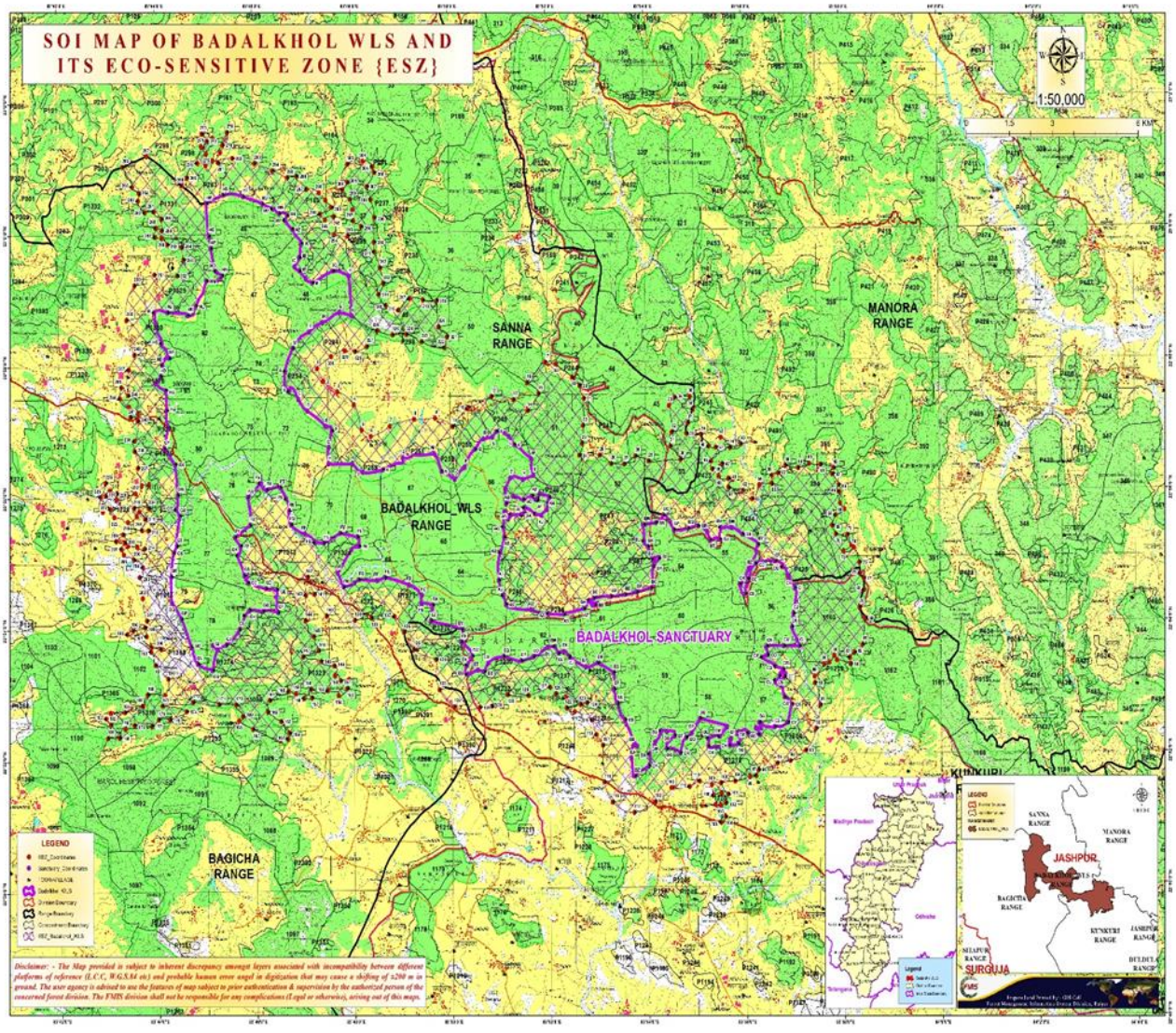
अनुलग्नक –IIख

बादलखोल वन्यजीव अभयारण्य के आसपास पारिस्थितिकी-संवेदी जोन को दर्शाने वाला गूगल अर्थ मानचित्र



अनुलग्नक –IIग

बादलखोल वन्यजीव अभयारण्य के आसपास पारिस्थितिकी-संवेदी जोन को दर्शाने वाला स्थलाकृतिक (टोपोशीट) मानचित्र



अनुलग्नक –III

संरक्षित क्षेत्र तथा उसके पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भू-निर्देशांक

क. बादलखोल वन्यजीव अभयारण्य के भू-निर्देशांक

क्र. स.	प्रमुख बिंदुओं की पहचान	अक्षांश (उ.) (डीएमएस प्रारूप)	देशांतर (पू.) (डीएमएस प्रारूप)
1	क	22^0 59'22.54"	83^0 45'21.52"
2	ख	22^0 59'28.55"	83^0 46'51.13"
3	ग	22^0 57'37.52"	83^0 46'40.83"
4	घ	22^0 56'29.70"	83^0 47'30.52"
5	ङ	22^0 56'14.25"	83^0 50'5.25"
6	च	22^0 54'17.29"	83^0 51'9.44"
7	छ	22^0 55'26.07"	83^0 54'33.75"
8	ज	22^0 54'27.43"	83^0 55'56.74"
9	झ	22^0 52'26.55"	83^0 55'38.58"
10	ञ	22^0 53'16.30"	83^0 53'18.55"
11	ट	22^0 53'18.25"	83^0 50'16.11"
12	ठ	22^0 54'28.74"	83^0 49'24.35"
13	ड	22^0 55'22.34"	83^0 48'7.59"
14	ढ	22^0 56'13.71"	83^0 46'8.39"
15	ण	22^0 53'22.73"	83^0 45'7.36"
16	त	22^0 55'15.86"	83^0 44'23.92"
17	थ	22^0 56'44.77"	83^0 44'9.34"
18	द	22^0 58'11.11"	83^0 44'14.53"

ख. पारिस्थितिक रूप से पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के भू-निर्देशांक

क्र. स.	प्रमुख बिंदुओं की पहचान	अक्षांश (उ.) (डीएमएस प्रारूप)	देशांतर (पू.) (डीएमएस प्रारूप)
1	**ईएसजेड 1**	22° 57 ' 57" उ	83° 47 ' 17" पू
2	**ईएसजेड 2**	22° 57 ' 45" उ	83° 47 ' 25" पू
3	**ईएसजेड** 3	22° 57 ' 35" उ	83° 47 ' 42" पू
4	ईएसजेड 4	22° 57 ' 24" उ	83° 48 ' 2" पू
5	ईएसजेड 5	22° 57 ' 0" उ	83° 48 ' 12" पू
6	ईएसजेड 6	22° 56 ' 54" उ	83° 48 ' 23" पू
7	ईएसजेड 7	22° 57 ' 4" उ	83° 48 ' 46" पू
8	ईएसजेड 8	22° 57 ' 10" उ	83° 49 ' 16" पू
9	ईएसजेड 9	22° 57 ' 10" उ	83° 49 ' 42" पू
10	ईएसजेड 10	22° 57 ' 3" उ	83° 50 ' 3" पू
11	ईएसजेड 11	22° 57 ' 19" उ	83° 50 ' 21" पू
12	ईएसजेड 12	22° 57 ' 30" उ	83° 50 ' 51" पू
13	ईएसजेड 13	22° 57 ' 27" उ	83° 51 ' 18" पू
14	ईएसजेड 14	22° 57 ' 16" उ	83° 51 ' 35" पू
15	ईएसजेड 15	22° 57 ' 32" उ	83° 51 ' 49" पू
16	ईएसजेड 16	22° 57 ' 42" उ	83° 51 ' 35" पू
17	ईएसजेड 17	22° 58 ' 0" उ	83° 51 ' 57" पू
18	ईएसजेड 18	22° 57 ' 59" उ	83° 52 ' 11" पू
19	ईएसजेड 19	22° 57 ' 47" उ	83° 52 ' 30" पू
20	ईएसजेड 20	22° 57 ' 39" उ	83° 52 ' 39" पू
21	ईएसजेड 21	22° 57 ' 27" उ	83° 52 ' 44" पू
22	ईएसजेड 22	22° 57 ' 2" उ	83° 52 ' 43" पू
23	ईएसजेड 23	22° 56 ' 46" उ	83° 52 ' 42" पू
24	ईएसजेड 24	22° 56 ' 35" उ	83° 52 ' 38" पू
25	ईएसजेड 25	22° 56 ' 35" उ	83° 53 ' 3" पू
26	ईएसजेड 26	22° 56 ' 27" उ	83° 53 ' 17" पू
27	ईएसजेड 27	22° 56 ' 27" उ	83° 53 ' 34" पू
28	ईएसजेड 28	22° 56 ' 34" उ	83° 53 ' 47" पू
29	ईएसजेड 29	22° 56 ' 29" उ	83° 54 ' 3" पू

30	ईएसजेड 30	22° 56 ' 30" उ	83° 54 ' 43" पू
31	ईएसजेड 31	22° 56 ' 42" उ	83° 54 ' 30" पू
32	ईएसजेड 32	22° 56 ' 55" उ	83° 54 ' 32" पू
33	ईएसजेड 33	22° 57 ' 19" उ	83° 54 ' 29" पू
34	ईएसजेड 34	22° 57 ' 27" उ	83° 54 ' 36" पू
35	ईएसजेड 35	22° 57 ' 27" उ	83° 54 ' 54" पू
36	ईएसजेड 36	22° 57 ' 16" उ	83° 54 ' 58" पू
37	ईएसजेड 37	22° 57 ' 4" उ	83° 54 ' 52" पू
38	ईएसजेड 38	22° 56 ' 54" उ	83° 54 ' 50" पू
39	ईएसजेड 39	22° 56 ' 53" उ	83° 55 ' 8" पू
40	ईएसजेड 40	22° 56 ' 42" उ	83° 55 ' 17" पू
41	ईएसजेड 41	22° 56 ' 41" उ	83° 55 ' 26" पू
42	ईएसजेड 42	22° 56 ' 50" उ	83° 55 ' 32" पू
43	ईएसजेड 43	22° 56 ' 44" उ	83° 55 ' 57" पू
44	ईएसजेड 44	22° 56 ' 41" उ	83° 55 ' 43" पू
45	ईएसजेड 45	22° 56 ' 28" उ	83° 55 ' 20" पू
46	ईएसजेड 46	22° 56 ' 21" उ	83° 55 ' 22" पू
47	ईएसजेड 47	22° 56 ' 26" उ	83° 55 ' 33" पू
48	ईएसजेड 48	22° 56 ' 15" उ	83° 55 ' 29" पू
49	ईएसजेड 49	22° 56 ' 13" उ	83° 55 ' 41" पू
50	ईएसजेड 50	22° 56 ' 11" उ	83° 55 ' 46" पू
51	ईएसजेड 51	22° 56 ' 4" उ	83° 55 ' 41" पू
52	ईएसजेड 52	22° 56 ' 1" उ	83° 55 ' 59" पू
53	ईएसजेड 53	22° 55 ' 54" उ	83° 56 ' 10" पू
54	ईएसजेड 54	22° 56 ' 6" उ	83° 56 ' 19" पू
55	ईएसजेड 55	22° 56 ' 7" उ	83° 56 ' 35" पू
56	ईएसजेड 56	22° 56 ' 15" उ	83° 56 ' 35" पू
57	ईएसजेड 57	22° 56 ' 17" उ	83° 56 ' 42" पू
58	ईएसजेड 58	22° 56 ' 24" उ	83° 56 ' 51" पू
59	ईएसजेड 59	22° 56 ' 21" उ	83° 57 ' 7" पू
60	ईएसजेड 60	22° 56 ' 25" उ	83° 57 ' 20" पू
61	ईएसजेड 61	22° 56 ' 24" उ	83° 57 ' 34" पू

62	ईएसजेड 62	22° 56 ' 21" उ	83° 57 ' 50" पू
63	ईएसजेड 63	22° 56 ' 15" उ	83° 57 ' 49" पू
64	ईएसजेड 64	22° 56 ' 5" उ	83° 57 ' 56" पू
65	ईएसजेड 65	22° 55 ' 59" उ	83° 57 ' 57" पू
66	ईएसजेड 66	22° 55 ' 49" उ	83° 57 ' 58" पू
67	ईएसजेड 67	22° 55 ' 43" उ	83° 58 ' 3" पू
68	ईएसजेड 68	22° 55 ' 38" उ	83° 57 ' 52" पू
69	ईएसजेड 69	22° 55 ' 28" उ	83° 57 ' 48" पू
70	ईएसजेड 70	22° 55 ' 21" उ	83° 57 ' 53" पू
71	ईएसजेड 71	22° 55 ' 20" उ	83° 58 ' 7" पू
72	ईएसजेड 72	22° 55 ' 10" उ	83° 58 ' 12" पू
73	ईएसजेड 73	22° 55 ' 5" उ	83° 58 ' 2" पू
74	ईएसजेड 74	22° 55 ' 8" उ	83° 58 ' 15" पू
75	ईएसजेड 75	22° 54 ' 55" उ	83° 58 ' 21" पू
76	ईएसजेड 76	22° 54 ' 45" उ	83° 58 ' 22" पू
77	ईएसजेड 77	22° 54 ' 40" उ	83° 58 ' 27" पू
78	ईएसजेड 78	22° 54 ' 30" उ	83° 58 ' 27" पू
79	ईएसजेड 79	22° 54 ' 13" उ	83° 58 ' 21" पू
80	ईएसजेड 80	22° 54 ' 4" उ	83° 58 ' 28" पू
81	ईएसजेड 81	22° 53 ' 39" उ	83° 58 ' 24" पू
82	ईएसजेड 82	22° 53 ' 33" उ	83° 58 ' 14" पू
83	ईएसजेड 83	22° 53 ' 28" उ	83° 58 ' 9" पू
84	ईएसजेड 84	22° 53 ' 22" उ	83° 58 ' 10" पू
85	ईएसजेड 85	22° 53 ' 26" उ	83° 57 ' 53" पू
86	ईएसजेड 86	22° 53 ' 30" उ	83° 57 ' 50" पू
87	ईएसजेड 87	22° 53 ' 24" उ	83° 57 ' 44" पू
88	ईएसजेड 88	22° 53 ' 22" उ	83° 57 ' 37" पू
89	ईएसजेड 89	22° 53 ' 11" उ	83° 57 ' 25" पू
90	ईएसजेड 90	22° 53 ' 5" उ	83° 57 ' 26" पू
91	ईएसजेड 91	22° 52 ' 45" उ	83° 57 ' 32" पू
92	ईएसजेड 92	22° 52 ' 23" उ	83° 57 ' 27" पू
93	ईएसजेड 93	22° 52 ' 4" उ	83° 57 ' 14" पू

94	ईएसजेड 94	22° 51 ' 54" उ	83° 56 ' 55" पू
95	ईएसजेड 95	22° 51 ' 52" उ	83° 56 ' 39" पू
96	ईएसजेड 96	22° 51 ' 46" उ	83° 56 ' 15" पू
97	ईएसजेड 97	22° 51 ' 41" उ	83° 56 ' 13" पू
98	ईएसजेड 98	22° 51 ' 40" उ	83° 56 ' 5" पू
99	ईएसजेड 99	22° 51 ' 36" उ	83° 55 ' 47" पू
100	ईएसजेड 100	22° 51 ' 35" उ	83° 55 ' 29" पू
101	ईएसजेड 101	22° 51 ' 24" उ	83° 55 ' 38" पू
102	ईएसजेड 102	22° 51 ' 16" उ	83° 55 ' 35" पू
103	ईएसजेड 103	22° 51 ' 15" उ	83° 55 ' 29" पू
104	ईएसजेड 104	22° 51 ' 4" उ	83° 55 ' 35" पू
105	ईएसजेड 105	22° 50 ' 59" उ	83° 55 ' 29" पू
106	ईएसजेड 106	22° 51 ' 15" उ	83° 55 ' 23" पू
107	ईएसजेड 107	22° 51 ' 26" उ	83° 55 ' 30" पू
108	ईएसजेड 108	22° 51 ' 23" उ	83° 55 ' 20" पू
109	ईएसजेड 109	22° 51 ' 33" उ	83° 55 ' 18" पू
110	ईएसजेड 110	22° 51 ' 37" उ	83° 55 ' 3" पू
111	ईएसजेड 111	22° 51 ' 32" उ	83° 54 ' 51" पू
112	ईएसजेड 112	22° 51 ' 31" उ	83° 54 ' 29" पू
113	ईएसजेड 113	22° 51 ' 18" उ	83° 54 ' 9" पू
114	ईएसजेड 114	22° 51 ' 9" उ	83° 53 ' 43" पू
115	ईएसजेड 115	22° 51 ' 18" उ	83° 53 ' 16" पू
116	ईएसजेड 116	22° 51 ' 37" उ	83° 53 ' 7" पू
117	ईएसजेड 117	22° 52 ' 10" उ	83° 53 ' 5" पू
118	ईएसजेड 118	22° 52 ' 20" उ	83° 52 ' 57" पू
119	ईएसजेड 119	22° 52 ' 33" उ	83° 52 ' 52" पू
120	ईएसजेड 120	22° 52 ' 33" उ	83° 52 ' 41" पू
121	ईएसजेड 121	22° 52 ' 41" उ	83° 52 ' 31" पू
122	ईएसजेड 122	22° 52 ' 45" उ	83° 52 ' 21" पू
123	ईएसजेड 123	22° 52 ' 48" उ	83° 52 ' 38" पू
124	ईएसजेड 124	22° 52 ' 49" उ	83° 52 ' 46" पू
125	ईएसजेड 125	22° 52 ' 54" उ	83° 52 ' 20" पू

126	ईएसजेड 126	22° 52 ' 58" उ	83° 52 ' 8" पू
127	ईएसजेड 127	22° 53 ' 4" उ	83° 52 ' 1" पू
128	ईएसजेड 128	22° 52 ' 56" उ	83° 51 ' 34" पू
129	ईएसजेड 129	22° 52 ' 57" उ	83° 51 ' 9" पू
130	ईएसजेड 130	22° 52 ' 47" उ	83° 50 ' 49" पू
131	ईएसजेड 131	22° 52 ' 46" उ	83° 50 ' 34" पू
132	ईएसजेड 132	22° 52 ' 47" उ	83° 50 ' 3" पू
133	ईएसजेड 133	22° 53 ' 2" उ	83° 49 ' 45" पू
134	ईएसजेड 134	22° 53 ' 30" उ	83° 49 ' 41" पू
135	ईएसजेड 135	22° 53 ' 40" उ	83° 49 ' 14" पू
136	ईएसजेड 136	22° 53 ' 55" उ	83° 49 ' 2" पू
137	ईएसजेड 137	22° 54 ' 10" उ	83° 48 ' 50" पू
138	ईएसजेड 138	22° 54 ' 9" उ	83° 48 ' 22" पू
139	ईएसजेड 139	22° 54 ' 7" उ	83° 48 ' 2" पू
140	ईएसजेड 140	22° 54 ' 11" उ	83° 47 ' 27" पू
141	ईएसजेड 141	22° 54 ' 31" उ	83° 47 ' 12" पू
142	ईएसजेड 142	22° 54 ' 47" उ	83° 47 ' 4" पू
143	ईएसजेड 143	22° 54 ' 30" उ	83° 47 ' 2" पू
144	ईएसजेड 144	22° 54 ' 7" उ	83° 47 ' 1" पू
145	ईएसजेड 145	22° 53 ' 52" उ	83° 47 ' 11" पू
146	ईएसजेड 146	22° 53 ' 39" उ	83° 47 ' 17" पू
147	ईएसजेड 147	22° 53 ' 34" उ	83° 46 ' 58" पू
148	ईएसजेड 148	22° 53 ' 29" उ	83° 47 ' 20" पू
149	ईएसजेड 149	22° 53 ' 25" उ	83° 47 ' 36" पू
150	ईएसजेड 150	22° 53 ' 16" उ	83° 47 ' 37" पू
151	ईएसजेड 151	22° 53 ' 12" उ	83° 47 ' 44" पू
152	ईएसजेड 152	22° 53 ' 13" उ	83° 47 ' 54" पू
153	ईएसजेड 153	22° 53 ' 5" उ	83° 47 ' 52" पू
154	ईएसजेड 154	22° 52 ' 58" उ	83° 47 ' 41" पू
155	ईएसजेड 155	22° 53 ' 3" उ	83° 47 ' 28" पू
156	ईएसजेड 156	22° 53 ' 4" उ	83° 47 ' 8" पू
157	ईएसजेड 157	22° 52 ' 57" उ	83° 47 ' 8" पू

158	ईएसजेड 158	22° 52 ' 56" उ	83° 46 ' 59" पू
159	ईएसजेड 159	22° 53 ' 0" उ	83° 46 ' 49" पू
160	ईएसजेड 160	22° 53 ' 2" उ	83° 46 ' 40" पू
161	ईएसजेड 161	22° 52 ' 54" उ	83° 46 ' 17" पू
162	ईएसजेड 162	22° 52 ' 44" उ	83° 46 ' 14" पू
163	ईएसजेड 163	22° 52 ' 35" उ	83° 46 ' 30" पू
164	ईएसजेड 164	22° 52 ' 24" उ	83° 46 ' 41" पू
165	ईएसजेड 165	22° 52 ' 19" उ	83° 46 ' 39" पू
166	ईएसजेड 166	22° 52 ' 17" उ	83° 46 ' 29" पू
167	ईएसजेड 167	22° 52 ' 28" उ	83° 45 ' 56" पू
168	ईएसजेड 168	22° 52 ' 36" उ	83° 45 ' 39" पू
169	ईएसजेड 169	22° 52 ' 40" उ	83° 45 ' 44" पू
170	ईएसजेड 170	22° 52 ' 51" उ	83° 45 ' 35" पू
171	ईएसजेड 171	22° 52 ' 51" उ	83° 45 ' 15" पू
172	ईएसजेड 172	22° 52 ' 53" उ	83° 44 ' 43" पू
173	ईएसजेड 173	22° 52 ' 50" उ	83° 44 ' 5" पू
174	ईएसजेड 174	22° 52 ' 45" उ	83° 44 ' 35" पू
175	ईएसजेड 175	22° 52 ' 37" उ	83° 44 ' 14" पू
176	ईएसजेड 176	22° 52 ' 38" उ	83° 44 ' 0" पू
177	ईएसजेड 177	22° 52 ' 32" उ	83° 43 ' 52" पू
178	ईएसजेड 178	22° 52 ' 33" उ	83° 43 ' 31" पू
179	ईएसजेड 179	22° 52 ' 29" उ	83° 43 ' 19" पू
180	ईएसजेड 180	22° 52 ' 21" उ	83° 43 ' 12" पू
181	ईएसजेड 181	22° 52 ' 21" उ	83° 42 ' 58" पू
182	ईएसजेड 182	22° 52 ' 33" उ	83° 43 ' 2" पू
183	ईएसजेड 183	22° 52 ' 39" उ	83° 42 ' 56" पू
184	ईएसजेड 184	22° 52 ' 44" उ	83° 43 ' 2" पू
185	ईएसजेड 185	22° 52 ' 45" उ	83° 43 ' 19" पू
186	ईएसजेड 186	22° 52 ' 48" उ	83° 43 ' 26" पू
187	ईएसजेड 187	22° 52 ' 50" उ	83° 43 ' 42" पू
188	ईएसजेड 188	22° 53 ' 0" उ	83° 43 ' 47" पू
189	ईएसजेड 189	22° 52 ' 60" उ	83° 44 ' 9" पू

190	ईएसजेड 190	22° 53 ' 15" उ	83° 44 ' 12" पू
191	ईएसजेड 191	22° 53 ' 28" उ	83° 43 ' 57" पू
192	ईएसजेड 192	22° 53 ' 40" उ	83° 43 ' 52" पू
193	ईएसजेड 193	22° 53 ' 56" उ	83° 43 ' 23" पू
194	ईएसजेड 194	22° 54 ' 4" उ	83° 43 ' 32" पू
195	ईएसजेड 195	22° 53 ' 59" उ	83° 43 ' 30" पू
196	ईएसजेड 196	22° 54 ' 2" उ	83° 43 ' 44" पू
197	ईएसजेड 197	22° 53 ' 54" उ	83° 43 ' 46" पू
198	ईएसजेड 198	22° 53 ' 54" उ	83° 43 ' 35" पू
199	ईएसजेड 199	22° 53 ' 44" उ	83° 43 ' 52" पू
200	ईएसजेड 200	22° 53 ' 42" उ	83° 44 ' 5" पू
201	ईएसजेड 201	22° 54 ' 8" उ	83° 43 ' 47" पू
202	ईएसजेड 202	22° 54 ' 28" उ	83° 43 ' 42" पू
203	ईएसजेड 203	22° 54 ' 48" उ	83° 43 ' 38" पू
204	ईएसजेड 204	22° 54 ' 57" उ	83° 43 ' 42" पू
205	ईएसजेड 205	22° 55 ' 4" उ	83° 43 ' 31" पू
206	ईएसजेड 206	22° 55 ' 8" उ	83° 43 ' 19" पू
207	ईएसजेड 207	22° 55 ' 14" उ	83° 43 ' 16" पू
208	ईएसजेड 208	22° 55 ' 20" उ	83° 43 ' 20" पू
209	ईएसजेड 209	22° 55 ' 21" उ	83° 43 ' 10" पू
210	ईएसजेड 210	22° 55 ' 27" उ	83° 43 ' 18" पू
211	ईएसजेड 211	22° 55 ' 21" उ	83° 43 ' 27" पू
212	ईएसजेड 212	22° 55 ' 16" उ	83° 43 ' 24" पू
213	ईएसजेड 213	22° 55 ' 15" उ	83° 43 ' 35" पू
214	ईएसजेड 214	22° 55 ' 14" उ	83° 43 ' 44" पू
215	ईएसजेड 215	22° 55 ' 30" उ	83° 43 ' 49" पू
216	ईएसजेड 216	22° 55 ' 31" उ	83° 43 ' 41" पू
217	ईएसजेड 217	22° 55 ' 41" उ	83° 43 ' 45" पू
218	ईएसजेड 218	22° 55 ' 48" उ	83° 43 ' 38" पू
219	ईएसजेड 219	22° 55 ' 51" उ	83° 43 ' 32" पू
220	ईएसजेड 220	22° 55 ' 43" उ	83° 43 ' 35" पू
221	ईएसजेड 221	22° 55 ' 38" उ	83° 43 ' 24" पू

222	ईएसजेड 222	22° 55 ' 43" उ	83° 43 ' 8" पू
223	ईएसजेड 223	22° 55 ' 50" उ	83° 43 ' 3" पू
224	ईएसजेड 224	22° 55 ' 47" उ	83° 42 ' 54" पू
225	ईएसजेड 225	22° 56 ' 1" उ	83° 42 ' 51" पू
226	ईएसजेड 226	22° 56 ' 14" उ	83° 42 ' 57" पू
227	ईएसजेड 227	22° 56 ' 2" उ	83° 42 ' 57" पू
228	ईएसजेड 228	22° 56 ' 7" उ	83° 43 ' 2" पू
229	ईएसजेड 229	22° 56 ' 5" उ	83° 43 ' 10" पू
230	ईएसजेड 230	22° 55 ' 59" उ	83° 43 ' 10" पू
231	ईएसजेड 231	22° 56 ' 2" उ	83° 43 ' 24" पू
232	ईएसजेड 232	22° 56 ' 4" उ	83° 43 ' 34" पू
233	ईएसजेड 233	22° 55 ' 56" उ	83° 43 ' 33" पू
234	ईएसजेड 234	22° 55 ' 51" उ	83° 43 ' 50" पू
235	ईएसजेड 235	22° 56 ' 12" उ	83° 43 ' 50" पू
236	ईएसजेड 236	22° 56 ' 11" उ	83° 43 ' 41" पू
237	ईएसजेड 237	22° 56 ' 28" उ	83° 43 ' 37" पू
238	ईएसजेड 238	22° 56 ' 43" उ	83° 43 ' 33" पू
239	ईएसजेड 239	22° 56 ' 52" उ	83° 43 ' 33" पू
240	ईएसजेड 240	22° 57 ' 11" उ	83° 43 ' 37" पू
241	ईएसजेड 241	22° 57 ' 14" उ	83° 43 ' 28" पू
242	ईएसजेड 242	22° 57 ' 17" उ	83° 43 ' 37" पू
243	ईएसजेड 243	22° 57 ' 23" उ	83° 43 ' 26" पू
244	ईएसजेड 244	22° 57 ' 31" उ	83° 43 ' 15" पू
245	ईएसजेड 245	22° 57 ' 41" उ	83° 43 ' 17" पू
246	ईएसजेड 246	22° 57 ' 34" उ	83° 43 ' 25" पू
247	ईएसजेड 247	22° 57 ' 57" उ	83° 43 ' 26" पू
248	ईएसजेड 248	22° 58 ' 11" उ	83° 43 ' 33" पू
249	ईएसजेड 249	22° 58 ' 43" उ	83° 43 ' 24" पू
250	ईएसजेड 250	22° 59 ' 14" उ	83° 43 ' 34" पू
251	ईएसजेड 251	22° 59 ' 24" उ	83° 43 ' 59" पू
252	ईएसजेड 252	22° 59 ' 23" उ	83° 44 ' 26" पू
253	ईएसजेड 253	22° 59 ' 37" उ	83° 44 ' 34" पू

254	ईएसजेड 254	22° 59 ' 48" उ	83° 44 ' 32" पू
255	ईएसजेड 255	22° 59 ' 51" उ	83° 44 ' 14" पू
256	ईएसजेड 256	22° 59 ' 57" उ	83° 44 ' 8" पू
257	ईएसजेड 257	22° 59 ' 58" उ	83° 43 ' 60" पू
258	ईएसजेड 258	23° 0 ' 7" उ	83° 44 ' 1" पू
259	ईएसजेड 259	23° 0 ' 4" उ	83° 44 ' 8" पू
260	ईएसजेड 260	23° 0 ' 15" उ	83° 44 ' 8" पू
261	ईएसजेड 261	23° 0 ' 21" उ	83° 43 ' 59" पू
262	ईएसजेड 262	23° 0 ' 20" उ	83° 43 ' 47" पू
263	ईएसजेड 263	23° 0 ' 31" उ	83° 43 ' 39" पू
264	ईएसजेड 264	23° 0 ' 38" उ	83° 43 ' 40" पू
265	ईएसजेड 265	23° 0 ' 44" उ	83° 43 ' 32" पू
266	ईएसजेड 266	23° 1 ' 2" उ	83° 43 ' 20" पू
267	ईएसजेड 267	23° 1 ' 12" उ	83° 43 ' 49" पू
268	ईएसजेड 268	23° 0 ' 45" उ	83° 44 ' 33" पू
269	ईएसजेड 269	23° 0 ' 52" उ	83° 44 ' 39" पू
270	ईएसजेड 270	23° 1 ' 5" उ	83° 44 ' 52" पू
271	ईएसजेड 271	23° 1 ' 20" उ	83° 44 ' 57" पू
272	ईएसजेड 272	23° 1 ' 25" उ	83° 45 ' 4" पू
273	ईएसजेड 273	23° 1 ' 32" उ	83° 44 ' 58" पू
274	ईएसजेड 274	23° 1 ' 28" उ	83° 45 ' 11" पू
275	ईएसजेड 275	23° 1 ' 14" उ	83° 45 ' 3" पू
276	ईएसजेड 276	23° 1 ' 3" उ	83° 45 ' 2" पू
277	ईएसजेड 277	23° 1 ' 8" उ	83° 45 ' 11" पू
278	ईएसजेड 278	23° 1 ' 22" उ	83° 45 ' 23" पू
279	ईएसजेड 279	23° 1 ' 33" उ	83° 45 ' 29" पू
280	ईएसजेड 280	23° 1 ' 15" उ	83° 45 ' 20" पू
281	ईएसजेड 281	23° 1 ' 6" उ	83° 45 ' 17" पू
282	ईएसजेड 282	23° 1 ' 10" उ	83° 45 ' 35" पू
283	ईएसजेड 283	23° 1 ' 5" उ	83° 46 ' 2" पू
284	ईएसजेड 284	23° 0 ' 58" उ	83° 46 ' 24" पू
285	ईएसजेड 285	23° 0 ' 51" उ	83° 46 ' 42" पू

286	ईएसजेड 286	23° 0 ' 53" उ	83° 46 ' 54" पू
287	ईएसजेड 287	23° 0 ' 41" उ	83° 47 ' 6" पू
288	ईएसजेड 288	23° 0 ' 37" उ	83° 47 ' 21" पू
289	ईएसजेड 289	23° 0 ' 30" उ	83° 47 ' 29" पू
290	ईएसजेड 290	23° 0 ' 24" उ	83° 47 ' 36" पू
291	ईएसजेड 291	23° 0 ' 18" उ	83° 47 ' 23" पू
292	ईएसजेड 292	23° 0 ' 13" उ	83° 47 ' 28" पू
293	ईएसजेड 293	23° 0 ' 15" उ	83° 47 ' 39" पू
294	ईएसजेड 294	22° 59 ' 59" उ	83° 47 ' 40" पू
295	ईएसजेड 295	22° 59 ' 58" उ	83° 47 ' 56" पू
296	ईएसजेड 296	23° 0 ' 6" उ	83° 48 ' 12" पू
297	ईएसजेड 297	23° 0 ' 11" उ	83° 48 ' 3" पू
298	ईएसजेड 298	23° 0 ' 22" उ	83° 48 ' 2" पू
299	ईएसजेड 299	23° 0 ' 31" उ	83° 47 ' 59" पू
300	ईएसजेड 300	23° 0 ' 40" उ	83° 47 ' 50" पू
301	ईएसजेड 301	23° 0 ' 47" उ	83° 47 ' 56" पू
302	ईएसजेड 302	23° 0 ' 46" उ	83° 47 ' 49" पू
303	ईएसजेड 303	23° 1 ' 3" उ	83° 47 ' 56" पू
304	ईएसजेड 304	23° 1 ' 5" उ	83° 48 ' 15" पू
305	ईएसजेड 305	23° 1 ' 1" उ	83° 48 ' 27" पू
306	ईएसजेड 306	23° 0 ' 55" उ	83° 48 ' 29" पू
307	ईएसजेड 307	23° 0 ' 42" उ	83° 48 ' 20" पू
308	ईएसजेड 308	23° 0 ' 30" उ	83° 48 ' 25" पू
309	ईएसजेड 309	23° 0 ' 14" उ	83° 48 ' 29" पू
310	ईएसजेड 310	22° 59 ' 52" उ	83° 48 ' 28" पू
311	ईएसजेड 311	22° 59 ' 43" उ	83° 48 ' 29" पू
312	ईएसजेड 312	22° 59 ' 28" उ	83° 48 ' 35" पू
313	ईएसजेड 313	22° 59 ' 14" उ	83° 48 ' 39" पू
314	ईएसजेड 314	22° 59 ' 4" उ	83° 48 ' 33" पू
315	ईएसजेड 315	22° 58 ' 54" उ	83° 48 ' 42" पू
316	ईएसजेड 316	22° 58 ' 49" उ	83° 48 ' 58" पू
317	ईएसजेड 317	22° 58 ' 60" उ	83° 49 ' 12" पू

318	ईएसजेड 318	22° 58 ' 58" उ	83° 49 ' 28" पू
319	ईएसजेड 319	22° 58 ' 58" उ	83° 49 ' 45" पू
320	ईएसजेड 320	22° 58 ' 34" उ	83° 49 ' 47" पू
321	ईएसजेड 321	22° 58 ' 25" उ	83° 49 ' 57" पू
322	ईएसजेड 322	22° 58 ' 14" उ	83° 49 ' 54" पू
323	ईएसजेड 323	22° 58 ' 20" उ	83° 49 ' 26" पू
324	ईएसजेड 324	22° 58 ' 27" उ	83° 49 ' 7" पू
325	ईएसजेड 325	22° 58 ' 27" उ	83° 48 ' 50" पू
326	ईएसजेड 326	22° 58 ' 31" उ	83° 48 ' 32" पू
327	ईएसजेड 327	22° 58 ' 17" उ	83° 48 ' 19" पू
328	ईएसजेड 328	22° 58 ' 12" उ	83° 48 ' 4" पू
329	ईएसजेड 329	22° 58 ' 13" उ	83° 47 ' 52" पू
330	ईएसजेड 330	22° 58 ' 7" उ	83° 47 ' 34" पू

अनुलग्नक –IV

पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के अधीन आने वाले गाँवों की सूची तथा उनके भू-निर्देशांक

क्र.स.	गाँव का नाम	तहसील	जीपीएस निर्देशांक	
			अक्षांश	देशांतर
1	बुटुंगा	बगीचा	22° 56' 44.16" उ	83° 48' 25.02" पू
2	गेलुंगा	बगीचा	22° 56' 56.76" उ	83° 50' 2.04" पू
3	बछरांव	बगीचा	22° 54' 9.36" उ	83° 51' 59.04" पू
4	झरगांव	बगीचा	22° 55' 31.08" उ	83° 55' 11.64" पू
5	गुल्लू	मनोरा	22° 56' 44.16" उ	83° 56' 38.04" पू
6	लाभ	कुनकुरी	22° 54' 56.52" उ	83° 56' 38.04" पू
7	जताकोना	कुनकुरी	22° 52' 18" उ	83° 56' 22" पू
8	बोडालता	कुनकुरी	22° 51' 46" उ	83° 55' 24" पू
9	चिटकवाइन टेंगरटोली	कुनकुरी	22° 51' 23" उ	83° 54' 11" पू
10	चारभाथी (नारायणपुर)	कुनकुरी	22° 86' 43" उ	83° 90' 56" पू
11	सेंद्रीमुंडा	कुनकुरी	22° 87' 54" उ	83° 86' 39" पू
12	जरहाटोली	कुनकुरी	22° 53' 19" उ	83° 50' 11" पू
13	साहीडांड़	बगीचा	22° 54' 18.36" उ	83° 49' 44.3908" पू
14	साराबकोम्बो	बगीचा	22° 54' 32.76" उ	83° 47' 20.04" पू
15	कुहापानी	बगीचा	22° 55' 25.68" उ	83° 46' 24.06" पू
16	जामपानी	बगीचा	22° 53' 33.36" उ	83° 48' 55.92" पू
17	बांसधार	बगीचा	22° 56' 27" उ	83° 46' 10" पू
18	बेवराटोली	बगीचा	22° 54' 26" उ	83° 44' 02" पू
19	सुतरी	बगीचा	22° 56' 12" उ	83° 45' 48" पू
20	झुकना	बगीचा	22° 56' 36" उ	83° 43' 56" पू
21	जोरजाम	बगीचा	22° 58' 16.32" उ	83° 43' 42.24" पू
22	बेतरा	बगीचा	22° 59' 0.96" उ	83° 45' 9.36" पू
23	लमगा	बगीचा	22° 59' 08" उ	83° 49' 20" पू
24	दहीडांड़	बगीचा	22° 53' 18" उ	83° 44' 15" पू

अनुलग्नक –V

कार्रवाई की गई रिपोर्ट का प्रारूप:-

1. बैठकों की संख्या और तिथि
2. बैठक के कार्यवृत्त: मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें। बैठक का कार्यवृत्त अलग अनुलग्नक में संलग्न हैं:
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति;
4. भूमि अभिलेख में स्पष्ट त्रुटि के सुधार के लिए निपटाए गए मामलों का सारांश: विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया जाए।
5. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों के लिए संवीक्षा किए गए मामलों का सारांश, विवरण अलग अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया जाए।
6. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन सम्मिलित नही की गई क्रियाकलापों के लिए जाँचे गए मामलों का सारांश। विवरण अलग अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया जाए।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज शिकायतों का सारांश।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

[फा. सं. 25/149/2015-ईएसजेड-आरई]

वेद प्रकाश मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2026

S.O. 5909(E).— The following draft notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and subsection (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Badalkhol Wildlife Sanctuary is located in Bagicha Tehsil, Jashpur district of Chhattisgarh State. The Sanctuary is an important protected area known for its rich habitat consisting of a variety of flora and fauna including mammals, birds, amphibians, reptiles, fish, varieties of butterflies, insects and number of waterfalls such as Chhuri Fall, Gulu Fall adding richness to the scenic beauty of the natural landscape. It is spread over an area of 104.454 square kilometres. The Wildlife Sanctuary is located between 22°51'12" N to 23°01'53.10" N latitude and 83° 42' 58" E to 83° 58' 24.70" E longitude;

AND WHEREAS the sanctuary consists of a mixture of moist and dry tropical deciduous forests, evergreen Sal forests, precious Teak forests including species such as *Shorea robusta, Terminelia tomentosa, Anogeissus latifolia, Boswellia serrata, Bassia latifolia, Pterocarpus marsupium, Terminelia chebula, Diospyros melanoxylon, Sterculia urens, Cassia fistula, Terminalia belerica, Terminalia arjuna, Diospyros cordifolia, Ficus glomerata, Adina cordifolia, Mitragyna parvifolia, Syzygium cumini, Ficus virenes, Cochlospermum religiosum, Aegle marmelos, Ficus bengalensis, Ficus religiosa, Emblica officinalis, Schleichera oleosa* etc.;

AND WHEREAS different types of mammals are found in the sanctuary such as Elephant (*Elelphas maximus indicus*), Sloth Bear (*Melursus ursinus*), Common Leopard (*Panthera pardus*), Indian Gaur (*Bos gaurus*), Wild Boar (*Sus scrofa*), Spotted Deer (*Axis axis*), Barking Deer (Muntiacus muntjak), Porcupine (*Hystrix indica*), Hyena (*Hyaena hyaena*), Jackal (*Canis aureus*), Small Indian Civet (*Viverricula indica*) etc.

AND WHEREAS it is necessary to conserve and protect the area, extent and boundary which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Badalkhol Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-Sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub section (l) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of Rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area to an extent of 1 to 4 kilometre around the boundary of Badalkhol Wildlife Sanctuary in the State of Chhattisgarh as the Badalkhol Wildlife Sanctuary, Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. —** (1) the extent of Eco-Sensitive Zone varies from 1 kilometre to 4 kilometre around the boundary of Badalkhol Wildlife Sanctuary, Chhattisgarh. The area of Eco-sensitive Zone is 110.08 square kilometre. Out of which 45.03 square kilometre is reserve and protected forests area and 65.045 square kilometre is revenue area. The extent of Eco-sensitive Zone in different directions is given in table below:

North	1- 4 kilometre
North-East	1- 4 kilometre
East	1- 2.5 kilometre
South-East	1- 2.5 kilometre
South	1- 4 kilometre
South-West	1- 3.6 kilometre
West	1- 2.7 kilometre
North-West	1- 3.5 kilometre

(2) The boundary description of Eco-sensitive Zone is appended as Annexure- I.

(3) The maps of the Eco-Sensitive Zone along with boundary details are appended as Annexure-II A, Annexure-II B and Annexure-II C.
(4) The geo-coordinates of the protected area and its Eco-sensitive Zone are given in Annexure-III.
(5) The list of 24 villages falling within the Eco-sensitive Zone is appended as Annexure-IV.

2. Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone.—

(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:

i. Environment;
ii. Forest and Climate Change;
iii. Wildlife;
iv. Urban Development;
v. Panchayati Raj and Rural Development
vi. Tourism;
vii. Revenue;
viii. Agriculture;
ix. Chhattisgarh State Pollution Control Board;
x. Irrigation and Flood Control;
xi. Municipality; and
xii. Public Works and Highways.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.— The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely: -

(1) Land use.—

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

i. Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
ii. Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
iii. Small scale industries not causing pollution;
iv. Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
v. Promoted activities given under paragraph 4.

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.— The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.—

a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone;

b) the Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests;

c) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

d) the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-Sensitive Zone;

e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-Sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site-specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-Sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.— All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.— Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.— Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and as amended from time to time.

(7) Air pollution.— Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

(8) Discharge of effluents.— Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.— Disposal and Management of solid wastes shall be as under: -

a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 and as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste.— Bio medical waste management shall be as under:

a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.

b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.— The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and demolition waste management.— The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.— The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.— The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.— Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial units.—

a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

b) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016 as amended from time to time, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.— The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.—

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under and other notifications, laws and Acts of the Government of India pertaining to environment, forests and wildlife, in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number 1533(E), dated the 14th September, 2006 and laws for the time being in force in the manner and as amended from time to time specified in the Table below, namely

TABLE

S No	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco-sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order(s) of the Hon'ble Supreme Court dated dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995; dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012; and IA No. 1000 of 2003 dated the 03rd June, 2022. IA No. 131377 of 2022, judgment dated the 26th April, 2023 and the 28th April, 2023 and subsequent judgment dated the 23rd July 2025 in I.A Nos. 162023, 162034, 162154 and 162155 of 2025 or any further orders regarding mining.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	Establishment of new and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted. Pollution prevention technologies and noise barriers should be installed by existing industries.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited
8.	Commercial Use of firewood	Prohibited
	B. Regulated Activities	
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities; Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use

		including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
11.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, as amended from time to time and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
12.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
13.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law (Underground cabling may be promoted).
15.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
17.	Under taking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable laws
18.	Protection of Hill Slopes and river banks	Regulated under applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
21.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated as per the applicable laws except for meeting local needs.

22.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated wastewater. Otherwise, the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
24.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated under applicable law.
25.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
26.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
28.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws
29.	Drastic change of agriculture systems	Regulated as per the applicable laws.
30.	Use of polythene bags.	Regulated as per applicable laws.
31.	Fencing of premises of hotels and lodges	Regulated as per the applicable laws.
32.	Air, vehicular and noise pollution	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
33.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
34.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
35.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
36.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
37.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted.
38.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
39.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
40.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
41.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
42.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
43.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

4. Monitoring Committee.— The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for the effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (protection) Act, 1986 comprising of the following, namely: -

S. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
1.	District Collector, Jashpur	Chairman, *ex-officio;*
2.	A representative of a non-governmental organization working in the field of environment or wildlife (including heritage conservation) to be nominated by the State Government of Chhattisgarh from time to time every three years	Member

3.	An expert in the area of ecology and environment from a reputed University or Institution to be nominated by the State Government of Chhattisgarh from time to time every three years.	Member
4.	Member Secretary or representative of Chhattisgarh State Biodiversity Board	Member, *ex-officio;*
5.	The chief Executive Officer of District Panchayat, Jashpur	Member, *ex-officio;*
6.	Executive Engineer or representative of Public Works and Public Health Engineering Departments, Jashpur	Members, *ex-officio;*
7.	Executive Engineer or representative of Chhattisgarh Environment Conservation Board	Member, *ex-officio;*
8.	Representative of Town and Country Planning Department	Member, *ex-officio;*
9.	Concerned Forest Officer, Badalkhol Wildlife Sanctuary	Member, *ex-officio;*
10.	Deputy Director, Elephant Reserve Surguja	Member Secretary, *ex officio;*

6. Functions of Monitoring Committee.—

(1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case maybe, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from concerned Department, representative from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case-to-case basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in pro-forma specified in Annexure-V, appended to this notification.

(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures: - The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Orders, Supreme Court, etc: - The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

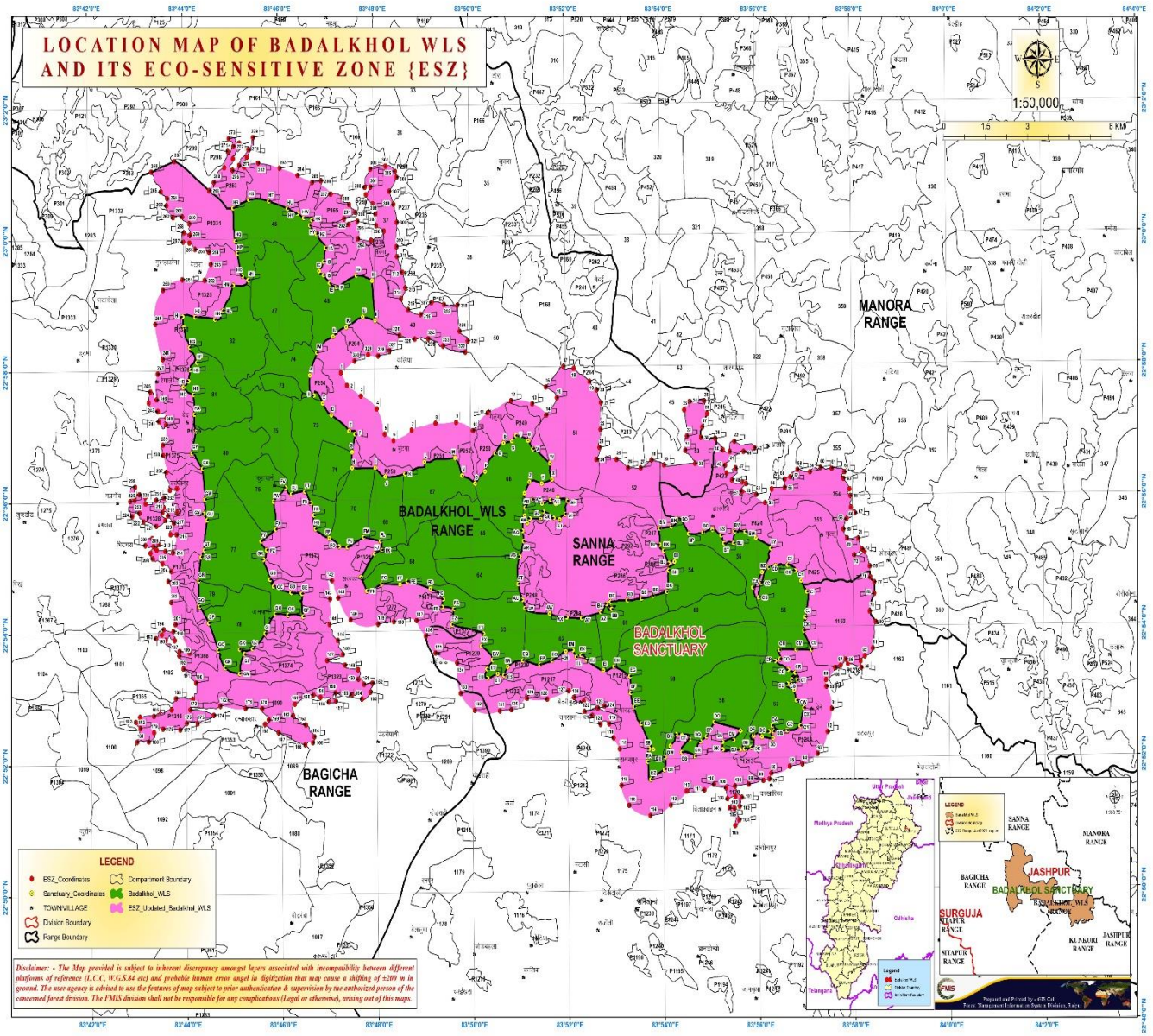
ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF THE ECO-SENSITIVE ZONE AROUND BADALKHOL WILD LIFE SANCTUARY

North	Village- Butunga, Gailunga, Sarhapani, Bathantol, Kaliya and Bachhraon
North- East	Village- Jhargao and Gullu
East	Village- Chatakpur
South-East	Village- Chitkwain and Jatakona
South	Village- Bodalata, Bardand, Jarhatotli, Darritola, Kuhapani and Bansdhar
South-West	Village- Dahidand, Vijaynagar
West	Village- Bewratoli, Bend, Sutri, Betra, Rengle,
North-West	Village- Duwari

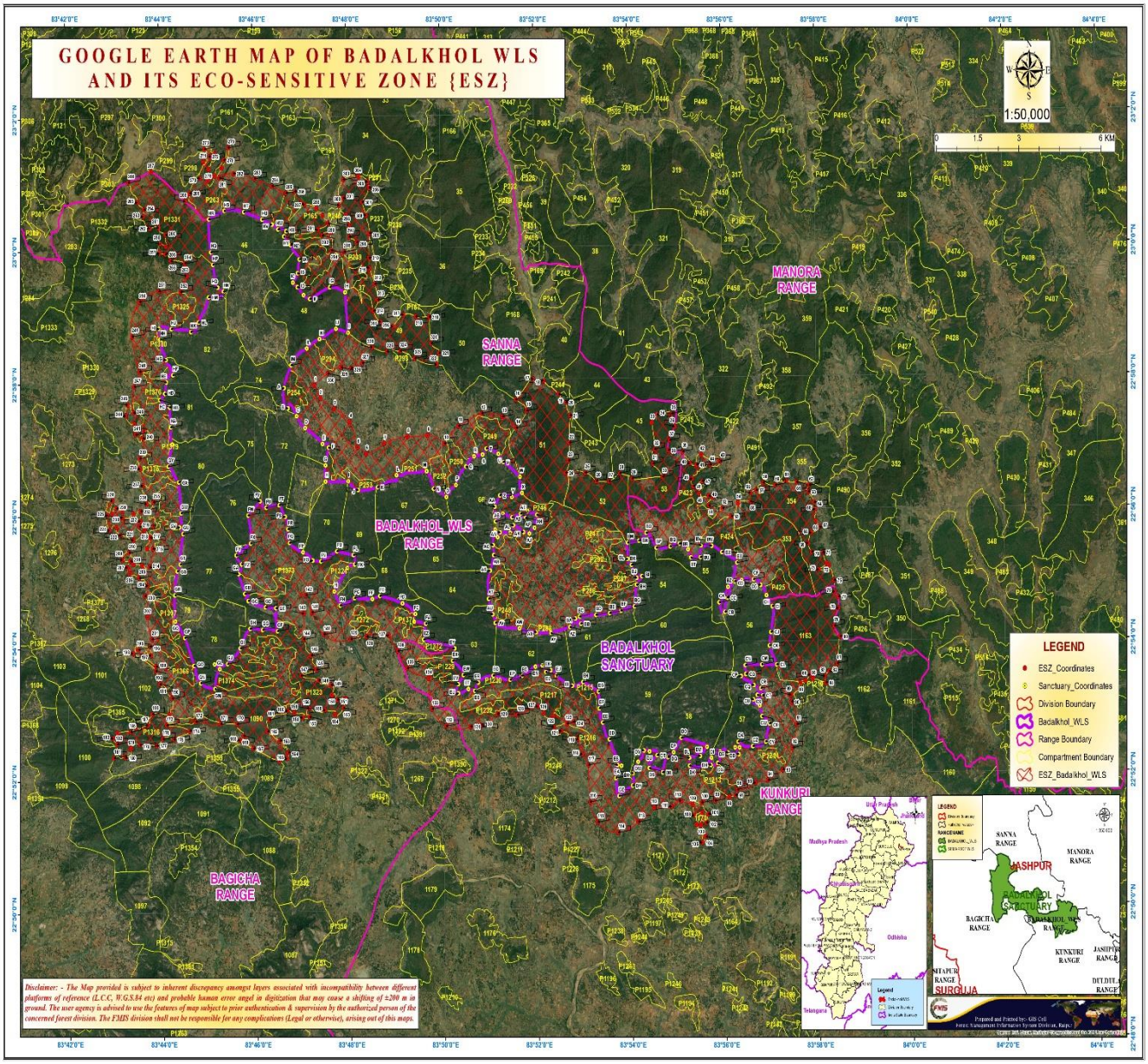
ANNEXURE-II A

MAP SHOWING PROMINENT POINTS OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND BADALKHOL WILDLIFE SANCTUARY



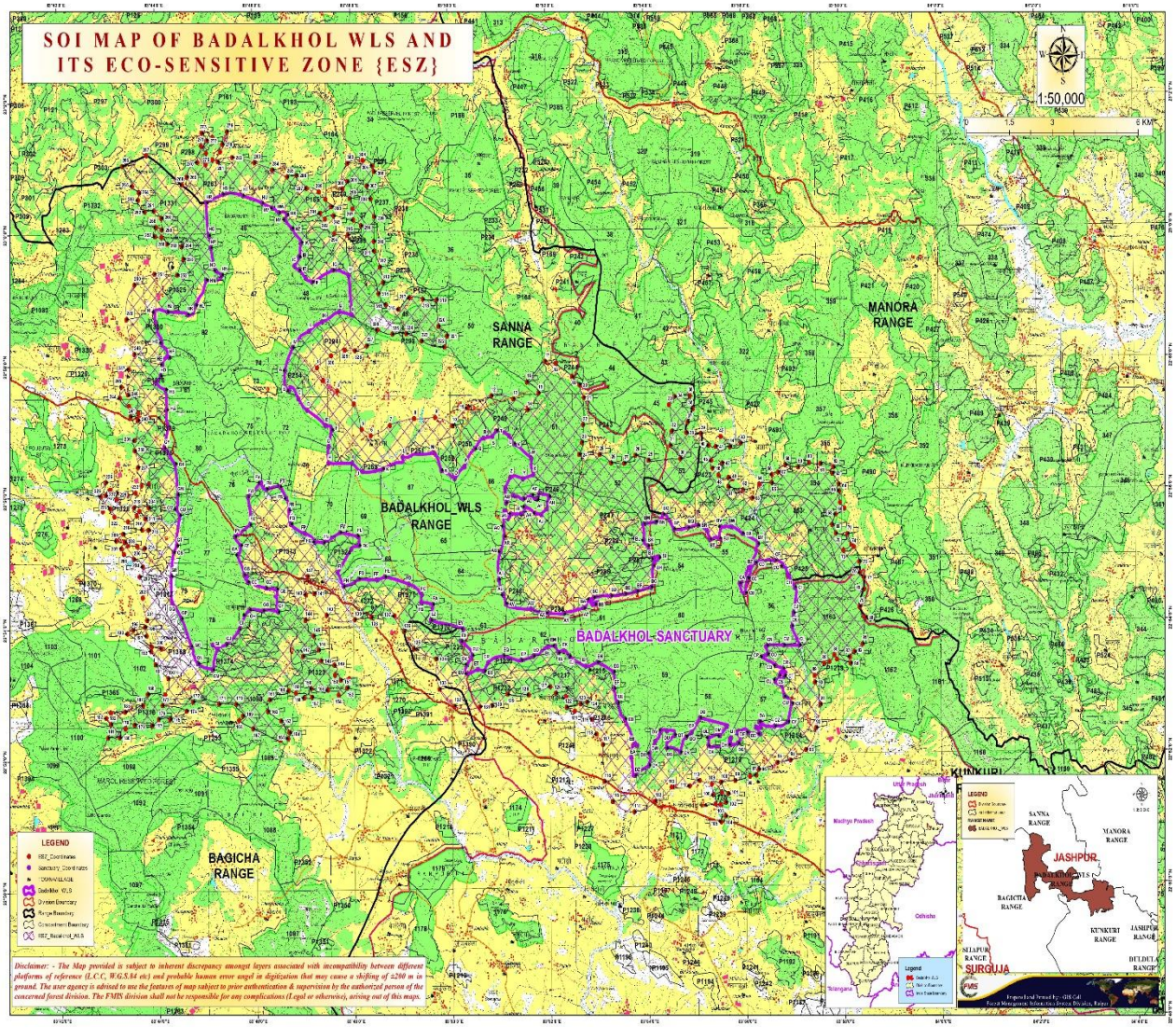
ANNEXURE-II B

GOOGLE EARTH MAP SHOWING ECO-SENSITIVE ZONE AROUND BADALKHOL WILDLIFE SANCTUARY



ANNEXURE-II C

TOPOSHEET MAP SHOWING ECO-SENSITIVE ZONE AROUND BADALKHOL WILDLIFE SANCTUARY



ANNEXURE- III

GEO-COORDINATES OF PROTECTED AREA AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE

A. Geo Coordinates of Badalkhol Wildlife Sanctuary

S. No.	Identification of Prominent Points	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
1	A	22^0 59'22.54"	83^0 45'21.52"
2	B	22^0 59'28.55"	83^0 46'51.13"
3	C	22^0 57'37.52"	83^0 46'40.83"
4	D	22^0 56'29.70"	83^0 47'30.52"
5	E	22^0 56'14.25"	83^0 50'5.25"
6	F	22^0 54'17.29"	83^0 51'9.44"
7	G	22^0 55'26.07"	83^0 54'33.75"
8	H	22^0 54'27.43"	83^0 55'56.74"
9	I	22^0 52'26.55"	83^0 55'38.58"
10	J	22^0 53'16.30"	83^0 53'18.55"
11	K	22^0 53'18.25"	83^0 50'16.11"
12	L	22^0 54'28.74"	83^0 49'24.35"
13	M	22^0 55'22.34"	83^0 48'7.59"
14	N	22^0 56'13.71"	83^0 46'8.39"
15	O	22^0 53'22.73"	83^0 45'7.36"
16	P	22^0 55'15.86"	83^0 44'23.92"
17	Q	22^0 56'44.77"	83^0 44'9.34"
18	R	22^0 58'11.11"	83^0 44'14.53"

B. Geo Coordinates of Eco-sensitive Zone

S. No.	Identification of Prominent Points	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
1	ESZ 1	22° 57 ' 57" N	83° 47 ' 17" E
2	ESZ 2	22° 57 ' 45" N	83° 47 ' 25" E
3	ESZ 3	22° 57 ' 35" N	83° 47 ' 42" E
4	ESZ 4	22° 57 ' 24" N	83° 48 ' 2" E
5	ESZ 5	22° 57 ' 0" N	83° 48 ' 12" E
6	ESZ 6	22° 56 ' 54" N	83° 48 ' 23" E
7	ESZ 7	22° 57 ' 4" N	83° 48 ' 46" E
8	ESZ 8	22° 57 ' 10" N	83° 49 ' 16" E
9	ESZ 9	22° 57 ' 10" N	83° 49 ' 42" E
10	ESZ 10	22° 57 ' 3" N	83° 50 ' 3" E
11	ESZ 11	22° 57 ' 19" N	83° 50 ' 21" E
12	ESZ 12	22° 57 ' 30" N	83° 50 ' 51" E
13	ESZ 13	22° 57 ' 27" N	83° 51 ' 18" E
14	ESZ 14	22° 57 ' 16" N	83° 51 ' 35" E
15	ESZ 15	22° 57 ' 32" N	83° 51 ' 49" E
16	ESZ 16	22° 57 ' 42" N	83° 51 ' 35" E
17	ESZ 17	22° 58 ' 0" N	83° 51 ' 57" E
18	ESZ 18	22° 57 ' 59" N	83° 52 ' 11" E
19	ESZ 19	22° 57 ' 47" N	83° 52 ' 30" E
20	ESZ 20	22° 57 ' 39" N	83° 52 ' 39" E
21	ESZ 21	22° 57 ' 27" N	83° 52 ' 44" E
22	ESZ 22	22° 57 ' 2" N	83° 52 ' 43" E
23	ESZ 23	22° 56 ' 46" N	83° 52 ' 42" E
24	ESZ 24	22° 56 ' 35" N	83° 52 ' 38" E
25	ESZ 25	22° 56 ' 35" N	83° 53 ' 3" E
26	ESZ 26	22° 56 ' 27" N	83° 53 ' 17" E
27	ESZ 27	22° 56 ' 27" N	83° 53 ' 34" E
28	ESZ 28	22° 56 ' 34" N	83° 53 ' 47" E
29	ESZ 29	22° 56 ' 29" N	83° 54 ' 3" E
30	ESZ 30	22° 56 ' 30" N	83° 54 ' 43" E
31	ESZ 31	22° 56 ' 42" N	83° 54 ' 30" E
32	ESZ 32	22° 56 ' 55" N	83° 54 ' 32" E
33	ESZ 33	22° 57 ' 19" N	83° 54 ' 29" E
34	ESZ 34	22° 57 ' 27" N	83° 54 ' 36" E
35	ESZ 35	22° 57 ' 27" N	83° 54 ' 54" E
36	ESZ 36	22° 57 ' 16" N	83° 54 ' 58" E
37	ESZ 37	22° 57 ' 4" N	83° 54 ' 52" E
38	ESZ 38	22° 56 ' 54" N	83° 54 ' 50" E
39	ESZ 39	22° 56 ' 53" N	83° 55 ' 8" E
40	ESZ 40	22° 56 ' 42" N	83° 55 ' 17" E
41	ESZ 41	22° 56 ' 41" N	83° 55 ' 26" E

42	ESZ 42	22° 56 ' 50" N	83° 55 ' 32" E
43	ESZ 43	22° 56 ' 44" N	83° 55 ' 57" E
44	ESZ 44	22° 56 ' 41" N	83° 55 ' 43" E
45	ESZ 45	22° 56 ' 28" N	83° 55 ' 20" E
46	ESZ 46	22° 56 ' 21" N	83° 55 ' 22" E
47	ESZ 47	22° 56 ' 26" N	83° 55 ' 33" E
48	ESZ 48	22° 56 ' 15" N	83° 55 ' 29" E
49	ESZ 49	22° 56 ' 13" N	83° 55 ' 41" E
50	ESZ 50	22° 56 ' 11" N	83° 55 ' 46" E
51	ESZ 51	22° 56 ' 4" N	83° 55 ' 41" E
52	ESZ 52	22° 56 ' 1" N	83° 55 ' 59" E
53	ESZ 53	22° 55 ' 54" N	83° 56 ' 10" E
54	ESZ 54	22° 56 ' 6" N	83° 56 ' 19" E
55	ESZ 55	22° 56 ' 7" N	83° 56 ' 35" E
56	ESZ 56	22° 56 ' 15" N	83° 56 ' 35" E
57	ESZ 57	22° 56 ' 17" N	83° 56 ' 42" E
58	ESZ 58	22° 56 ' 24" N	83° 56 ' 51" E
59	ESZ 59	22° 56 ' 21" N	83° 57 ' 7" E
60	ESZ 60	22° 56 ' 25" N	83° 57 ' 20" E
61	ESZ 61	22° 56 ' 24" N	83° 57 ' 34" E
62	ESZ 62	22° 56 ' 21" N	83° 57 ' 50" E
63	ESZ 63	22° 56 ' 15" N	83° 57 ' 49" E
64	ESZ 64	22° 56 ' 5" N	83° 57 ' 56" E
65	ESZ 65	22° 55 ' 59" N	83° 57 ' 57" E
66	ESZ 66	22° 55 ' 49" N	83° 57 ' 58" E
67	ESZ 67	22° 55 ' 43" N	83° 58 ' 3" E
68	ESZ 68	22° 55 ' 38" N	83° 57 ' 52" E
69	ESZ 69	22° 55 ' 28" N	83° 57 ' 48" E
70	ESZ 70	22° 55 ' 21" N	83° 57 ' 53" E
71	ESZ 71	22° 55 ' 20" N	83° 58 ' 7" E
72	ESZ 72	22° 55 ' 10" N	83° 58 ' 12" E
73	ESZ 73	22° 55 ' 5" N	83° 58 ' 2" E
74	ESZ 74	22° 55 ' 8" N	83° 58 ' 15" E
75	ESZ 75	22° 54 ' 55" N	83° 58 ' 21" E
76	ESZ 76	22° 54 ' 45" N	83° 58 ' 22" E
77	ESZ 77	22° 54 ' 40" N	83° 58 ' 27" E
78	ESZ 78	22° 54 ' 30" N	83° 58 ' 27" E
79	ESZ 79	22° 54 ' 13" N	83° 58 ' 21" E
80	ESZ 80	22° 54 ' 4" N	83° 58 ' 28" E
81	ESZ 81	22° 53 ' 39" N	83° 58 ' 24" E
82	ESZ 82	22° 53 ' 33" N	83° 58 ' 14" E
83	ESZ 83	22° 53 ' 28" N	83° 58 ' 9" E
84	ESZ 84	22° 53 ' 22" N	83° 58 ' 10" E
85	ESZ 85	22° 53 ' 26" N	83° 57 ' 53" E

86	ESZ 86	22° 53 ' 30" N	83° 57 ' 50" E
87	ESZ 87	22° 53 ' 24" N	83° 57 ' 44" E
88	ESZ 88	22° 53 ' 22" N	83° 57 ' 37" E
89	ESZ 89	22° 53 ' 11" N	83° 57 ' 25" E
90	ESZ 90	22° 53 ' 5" N	83° 57 ' 26" E
91	ESZ 91	22° 52 ' 45" N	83° 57 ' 32" E
92	ESZ 92	22° 52 ' 23" N	83° 57 ' 27" E
93	ESZ 93	22° 52 ' 4" N	83° 57 ' 14" E
94	ESZ 94	22° 51 ' 54" N	83° 56 ' 55" E
95	ESZ 95	22° 51 ' 52" N	83° 56 ' 39" E
96	ESZ 96	22° 51 ' 46" N	83° 56 ' 15" E
97	ESZ 97	22° 51 ' 41" N	83° 56 ' 13" E
98	ESZ 98	22° 51 ' 40" N	83° 56 ' 5" E
99	ESZ 99	22° 51 ' 36" N	83° 55 ' 47" E
100	ESZ 100	22° 51 ' 35" N	83° 55 ' 29" E
101	ESZ 101	22° 51 ' 24" N	83° 55 ' 38" E
102	ESZ 102	22° 51 ' 16" N	83° 55 ' 35" E
103	ESZ 103	22° 51 ' 15" N	83° 55 ' 29" E
104	ESZ 104	22° 51 ' 4" N	83° 55 ' 35" E
105	ESZ 105	22° 50 ' 59" N	83° 55 ' 29" E
106	ESZ 106	22° 51 ' 15" N	83° 55 ' 23" E
107	ESZ 107	22° 51 ' 26" N	83° 55 ' 30" E
108	ESZ 108	22° 51 ' 23" N	83° 55 ' 20" E
109	ESZ 109	22° 51 ' 33" N	83° 55 ' 18" E
110	ESZ 110	22° 51 ' 37" N	83° 55 ' 3" E
111	ESZ 111	22° 51 ' 32" N	83° 54 ' 51" E
112	ESZ 112	22° 51 ' 31" N	83° 54 ' 29" E
113	ESZ 113	22° 51 ' 18" N	83° 54 ' 9" E
114	ESZ 114	22° 51 ' 9" N	83° 53 ' 43" E
115	ESZ 115	22° 51 ' 18" N	83° 53 ' 16" E
116	ESZ 116	22° 51 ' 37" N	83° 53 ' 7" E
117	ESZ 117	22° 52 ' 10" N	83° 53 ' 5" E
118	ESZ 118	22° 52 ' 20" N	83° 52 ' 57" E
119	ESZ 119	22° 52 ' 33" N	83° 52 ' 52" E
120	ESZ 120	22° 52 ' 33" N	83° 52 ' 41" E
121	ESZ 121	22° 52 ' 41" N	83° 52 ' 31" E
122	ESZ 122	22° 52 ' 45" N	83° 52 ' 21" E
123	ESZ 123	22° 52 ' 48" N	83° 52 ' 38" E
124	ESZ 124	22° 52 ' 49" N	83° 52 ' 46" E
125	ESZ 125	22° 52 ' 54" N	83° 52 ' 20" E
126	ESZ 126	22° 52 ' 58" N	83° 52 ' 8" E
127	ESZ 127	22° 53 ' 4" N	83° 52 ' 1" E
128	ESZ 128	22° 52 ' 56" N	83° 51 ' 34" E
129	ESZ 129	22° 52 ' 57" N	83° 51 ' 9" E

130	ESZ 130	22° 52 ' 47" N	83° 50 ' 49" E
131	ESZ 131	22° 52 ' 46" N	83° 50 ' 34" E
132	ESZ 132	22° 52 ' 47" N	83° 50 ' 3" E
133	ESZ 133	22° 53 ' 2" N	83° 49 ' 45" E
134	ESZ 134	22° 53 ' 30" N	83° 49 ' 41" E
135	ESZ 135	22° 53 ' 40" N	83° 49 ' 14" E
136	ESZ 136	22° 53 ' 55" N	83° 49 ' 2" E
137	ESZ 137	22° 54 ' 10" N	83° 48 ' 50" E
138	ESZ 138	22° 54 ' 9" N	83° 48 ' 22" E
139	ESZ 139	22° 54 ' 7" N	83° 48 ' 2" E
140	ESZ 140	22° 54 ' 11" N	83° 47 ' 27" E
141	ESZ 141	22° 54 ' 31" N	83° 47 ' 12" E
142	ESZ 142	22° 54 ' 47" N	83° 47 ' 4" E
143	ESZ 143	22° 54 ' 30" N	83° 47 ' 2" E
144	ESZ 144	22° 54 ' 7" N	83° 47 ' 1" E
145	ESZ 145	22° 53 ' 52" N	83° 47 ' 11" E
146	ESZ 146	22° 53 ' 39" N	83° 47 ' 17" E
147	ESZ 147	22° 53 ' 34" N	83° 46 ' 58" E
148	ESZ 148	22° 53 ' 29" N	83° 47 ' 20" E
149	ESZ 149	22° 53 ' 25" N	83° 47 ' 36" E
150	ESZ 150	22° 53 ' 16" N	83° 47 ' 37" E
151	ESZ 151	22° 53 ' 12" N	83° 47 ' 44" E
152	ESZ 152	22° 53 ' 13" N	83° 47 ' 54" E
153	ESZ 153	22° 53 ' 5" N	83° 47 ' 52" E
154	ESZ 154	22° 52 ' 58" N	83° 47 ' 41" E
155	ESZ 155	22° 53 ' 3" N	83° 47 ' 28" E
156	ESZ 156	22° 53 ' 4" N	83° 47 ' 8" E
157	ESZ 157	22° 52 ' 57" N	83° 47 ' 8" E
158	ESZ 158	22° 52 ' 56" N	83° 46 ' 59" E
159	ESZ 159	22° 53 ' 0" N	83° 46 ' 49" E
160	ESZ 160	22° 53 ' 2" N	83° 46 ' 40" E
161	ESZ 161	22° 52 ' 54" N	83° 46 ' 17" E
162	ESZ 162	22° 52 ' 44" N	83° 46 ' 14" E
163	ESZ 163	22° 52 ' 35" N	83° 46 ' 30" E
164	ESZ 164	22° 52 ' 24" N	83° 46 ' 41" E
165	ESZ 165	22° 52 ' 19" N	83° 46 ' 39" E
166	ESZ 166	22° 52 ' 17" N	83° 46 ' 29" E
167	ESZ 167	22° 52 ' 28" N	83° 45 ' 56" E
168	ESZ 168	22° 52 ' 36" N	83° 45 ' 39" E
169	ESZ 169	22° 52 ' 40" N	83° 45 ' 44" E
170	ESZ 170	22° 52 ' 51" N	83° 45 ' 35" E
171	ESZ 171	22° 52 ' 51" N	83° 45 ' 15" E
172	ESZ 172	22° 52 ' 53" N	83° 44 ' 43" E
173	ESZ 173	22° 52 ' 50" N	83° 44 ' 5" E

174	ESZ 174	22° 52 ' 45" N	83° 44 ' 35" E
175	ESZ 175	22° 52 ' 37" N	83° 44 ' 14" E
176	ESZ 176	22° 52 ' 38" N	83° 44 ' 0" E
177	ESZ 177	22° 52 ' 32" N	83° 43 ' 52" E
178	ESZ 178	22° 52 ' 33" N	83° 43 ' 31" E
179	ESZ 179	22° 52 ' 29" N	83° 43 ' 19" E
180	ESZ 180	22° 52 ' 21" N	83° 43 ' 12" E
181	ESZ 181	22° 52 ' 21" N	83° 42 ' 58" E
182	ESZ 182	22° 52 ' 33" N	83° 43 ' 2" E
183	ESZ 183	22° 52 ' 39" N	83° 42 ' 56" E
184	ESZ 184	22° 52 ' 44" N	83° 43 ' 2" E
185	ESZ 185	22° 52 ' 45" N	83° 43 ' 19" E
186	ESZ 186	22° 52 ' 48" N	83° 43 ' 26" E
187	ESZ 187	22° 52 ' 50" N	83° 43 ' 42" E
188	ESZ 188	22° 53 ' 0" N	83° 43 ' 47" E
189	ESZ 189	22° 52 ' 60" N	83° 44 ' 9" E
190	ESZ 190	22° 53 ' 15" N	83° 44 ' 12" E
191	ESZ 191	22° 53 ' 28" N	83° 43 ' 57" E
192	ESZ 192	22° 53 ' 40" N	83° 43 ' 52" E
193	ESZ 193	22° 53 ' 56" N	83° 43 ' 23" E
194	ESZ 194	22° 54 ' 4" N	83° 43 ' 32" E
195	ESZ 195	22° 53 ' 59" N	83° 43 ' 30" E
196	ESZ 196	22° 54 ' 2" N	83° 43 ' 44" E
197	ESZ 197	22° 53 ' 54" N	83° 43 ' 46" E
198	ESZ 198	22° 53 ' 54" N	83° 43 ' 35" E
199	ESZ 199	22° 53 ' 44" N	83° 43 ' 52" E
200	ESZ 200	22° 53 ' 42" N	83° 44 ' 5" E
201	ESZ 201	22° 54 ' 8" N	83° 43 ' 47" E
202	ESZ 202	22° 54 ' 28" N	83° 43 ' 42" E
203	ESZ 203	22° 54 ' 48" N	83° 43 ' 38" E
204	ESZ 204	22° 54 ' 57" N	83° 43 ' 42" E
205	ESZ 205	22° 55 ' 4" N	83° 43 ' 31" E
206	ESZ 206	22° 55 ' 8" N	83° 43 ' 19" E
207	ESZ 207	22° 55 ' 14" N	83° 43 ' 16" E
208	ESZ 208	22° 55 ' 20" N	83° 43 ' 20" E
209	ESZ 209	22° 55 ' 21" N	83° 43 ' 10" E
210	ESZ 210	22° 55 ' 27" N	83° 43 ' 18" E
211	ESZ 211	22° 55 ' 21" N	83° 43 ' 27" E
212	ESZ 212	22° 55 ' 16" N	83° 43 ' 24" E
213	ESZ 213	22° 55 ' 15" N	83° 43 ' 35" E
214	ESZ 214	22° 55 ' 14" N	83° 43 ' 44" E
215	ESZ 215	22° 55 ' 30" N	83° 43 ' 49" E
216	ESZ 216	22° 55 ' 31" N	83° 43 ' 41" E
217	ESZ 217	22° 55 ' 41" N	83° 43 ' 45" E

218	ESZ 218	22° 55 ' 48" N	83° 43 ' 38" E
219	ESZ 219	22° 55 ' 51" N	83° 43 ' 32" E
220	ESZ 220	22° 55 ' 43" N	83° 43 ' 35" E
221	ESZ 221	22° 55 ' 38" N	83° 43 ' 24" E
222	ESZ 222	22° 55 ' 43" N	83° 43 ' 8" E
223	ESZ 223	22° 55 ' 50" N	83° 43 ' 3" E
224	ESZ 224	22° 55 ' 47" N	83° 42 ' 54" E
225	ESZ 225	22° 56 ' 1" N	83° 42 ' 51" E
226	ESZ 226	22° 56 ' 14" N	83° 42 ' 57" E
227	ESZ 227	22° 56 ' 2" N	83° 42 ' 57" E
228	ESZ 228	22° 56 ' 7" N	83° 43 ' 2" E
229	ESZ 229	22° 56 ' 5" N	83° 43 ' 10" E
230	ESZ 230	22° 55 ' 59" N	83° 43 ' 10" E
231	ESZ 231	22° 56 ' 2" N	83° 43 ' 24" E
232	ESZ 232	22° 56 ' 4" N	83° 43 ' 34" E
233	ESZ 233	22° 55 ' 56" N	83° 43 ' 33" E
234	ESZ 234	22° 55 ' 51" N	83° 43 ' 50" E
235	ESZ 235	22° 56 ' 12" N	83° 43 ' 50" E
236	ESZ 236	22° 56 ' 11" N	83° 43 ' 41" E
237	ESZ 237	22° 56 ' 28" N	83° 43 ' 37" E
238	ESZ 238	22° 56 ' 43" N	83° 43 ' 33" E
239	ESZ 239	22° 56 ' 52" N	83° 43 ' 33" E
240	ESZ 240	22° 57 ' 11" N	83° 43 ' 37" E
241	ESZ 241	22° 57 ' 14" N	83° 43 ' 28" E
242	ESZ 242	22° 57 ' 17" N	83° 43 ' 37" E
243	ESZ 243	22° 57 ' 23" N	83° 43 ' 26" E
244	ESZ 244	22° 57 ' 31" N	83° 43 ' 15" E
245	ESZ 245	22° 57 ' 41" N	83° 43 ' 17" E
246	ESZ 246	22° 57 ' 34" N	83° 43 ' 25" E
247	ESZ 247	22° 57 ' 57" N	83° 43 ' 26" E
248	ESZ 248	22° 58 ' 11" N	83° 43 ' 33" E
249	ESZ 249	22° 58 ' 43" N	83° 43 ' 24" E
250	ESZ 250	22° 59 ' 14" N	83° 43 ' 34" E
251	ESZ 251	22° 59 ' 24" N	83° 43 ' 59" E
252	ESZ 252	22° 59 ' 23" N	83° 44 ' 26" E
253	ESZ 253	22° 59 ' 37" N	83° 44 ' 34" E
254	ESZ 254	22° 59 ' 48" N	83° 44 ' 32" E
255	ESZ 255	22° 59 ' 51" N	83° 44 ' 14" E
256	ESZ 256	22° 59 ' 57" N	83° 44 ' 8" E
257	ESZ 257	22° 59 ' 58" N	83° 43 ' 60" E
258	ESZ 258	23° 0 ' 7" N	83° 44 ' 1" E
259	ESZ 259	23° 0 ' 4" N	83° 44 ' 8" E
260	ESZ 260	23° 0 ' 15" N	83° 44 ' 8" E
261	ESZ 261	23° 0 ' 21" N	83° 43 ' 59" E

262	ESZ 262	23° 0 ' 20" N	83° 43 ' 47" E
263	ESZ 263	23° 0 ' 31" N	83° 43 ' 39" E
264	ESZ 264	23° 0 ' 38" N	83° 43 ' 40" E
265	ESZ 265	23° 0 ' 44" N	83° 43 ' 32" E
266	ESZ 266	23° 1 ' 2" N	83° 43 ' 20" E
267	ESZ 267	23° 1 ' 12" N	83° 43 ' 49" E
268	ESZ 268	23° 0 ' 45" N	83° 44 ' 33" E
269	ESZ 269	23° 0 ' 52" N	83° 44 ' 39" E
270	ESZ 270	23° 1 ' 5" N	83° 44 ' 52" E
271	ESZ 271	23° 1 ' 20" N	83° 44 ' 57" E
272	ESZ 272	23° 1 ' 25" N	83° 45 ' 4" E
273	ESZ 273	23° 1 ' 32" N	83° 44 ' 58" E
274	ESZ 274	23° 1 ' 28" N	83° 45 ' 11" E
275	ESZ 275	23° 1 ' 14" N	83° 45 ' 3" E
276	ESZ 276	23° 1 ' 3" N	83° 45 ' 2" E
277	ESZ 277	23° 1 ' 8" N	83° 45 ' 11" E
278	ESZ 278	23° 1 ' 22" N	83° 45 ' 23" E
279	ESZ 279	23° 1 ' 33" N	83° 45 ' 29" E
280	ESZ 280	23° 1 ' 15" N	83° 45 ' 20" E
281	ESZ 281	23° 1 ' 6" N	83° 45 ' 17" E
282	ESZ 282	23° 1 ' 10" N	83° 45 ' 35" E
283	ESZ 283	23° 1 ' 5" N	83° 46 ' 2" E
284	ESZ 284	23° 0 ' 58" N	83° 46 ' 24" E
285	ESZ 285	23° 0 ' 51" N	83° 46 ' 42" E
286	ESZ 286	23° 0 ' 53" N	83° 46 ' 54" E
287	ESZ 287	23° 0 ' 41" N	83° 47 ' 6" E
288	ESZ 288	23° 0 ' 37" N	83° 47 ' 21" E
289	ESZ 289	23° 0 ' 30" N	83° 47 ' 29" E
290	ESZ 290	23° 0 ' 24" N	83° 47 ' 36" E
291	ESZ 291	23° 0 ' 18" N	83° 47 ' 23" E
292	ESZ 292	23° 0 ' 13" N	83° 47 ' 28" E
293	ESZ 293	23° 0 ' 15" N	83° 47 ' 39" E
294	ESZ 294	22° 59 ' 59" N	83° 47 ' 40" E
295	ESZ 295	22° 59 ' 58" N	83° 47 ' 56" E
296	ESZ 296	23° 0 ' 6" N	83° 48 ' 12" E
297	ESZ 297	23° 0 ' 11" N	83° 48 ' 3" E
298	ESZ 298	23° 0 ' 22" N	83° 48 ' 2" E
299	ESZ 299	23° 0 ' 31" N	83° 47 ' 59" E
300	ESZ 300	23° 0 ' 40" N	83° 47 ' 50" E
301	ESZ 301	23° 0 ' 47" N	83° 47 ' 56" E
302	ESZ 302	23° 0 ' 46" N	83° 47 ' 49" E
303	ESZ 303	23° 1 ' 3" N	83° 47 ' 56" E
304	ESZ 304	23° 1 ' 5" N	83° 48 ' 15" E
305	ESZ 305	23° 1 ' 1" N	83° 48 ' 27" E

306	ESZ 306	23° 0 ' 55" N	83° 48 ' 29" E
307	ESZ 307	23° 0 ' 42" N	83° 48 ' 20" E
308	ESZ 308	23° 0 ' 30" N	83° 48 ' 25" E
309	ESZ 309	23° 0 ' 14" N	83° 48 ' 29" E
310	ESZ 310	22° 59 ' 52" N	83° 48 ' 28" E
311	ESZ 311	22° 59 ' 43" N	83° 48 ' 29" E
312	ESZ 312	22° 59 ' 28" N	83° 48 ' 35" E
313	ESZ 313	22° 59 ' 14" N	83° 48 ' 39" E
314	ESZ 314	22° 59 ' 4" N	83° 48 ' 33" E
315	ESZ 315	22° 58 ' 54" N	83° 48 ' 42" E
316	ESZ 316	22° 58 ' 49" N	83° 48 ' 58" E
317	ESZ 317	22° 58 ' 60" N	83° 49 ' 12" E
318	ESZ 318	22° 58 ' 58" N	83° 49 ' 28" E
319	ESZ 319	22° 58 ' 58" N	83° 49 ' 45" E
320	ESZ 320	22° 58 ' 34" N	83° 49 ' 47" E
321	ESZ 321	22° 58 ' 25" N	83° 49 ' 57" E
322	ESZ 322	22° 58 ' 14" N	83° 49 ' 54" E
323	ESZ 323	22° 58 ' 20" N	83° 49 ' 26" E
324	ESZ 324	22° 58 ' 27" N	83° 49 ' 7" E
325	ESZ 325	22° 58 ' 27" N	83° 48 ' 50" E
326	ESZ 326	22° 58 ' 31" N	83° 48 ' 32" E
327	ESZ 327	22° 58 ' 17" N	83° 48 ' 19" E
328	ESZ 328	22° 58 ' 12" N	83° 48 ' 4" E
329	ESZ 329	22° 58 ' 13" N	83° 47 ' 52" E
330	ESZ 330	22° 58 ' 7" N	83° 47 ' 34" E

ANNEXURE- IV

LIST OF VILLAGES ALONG WITH GEO-COORDINATES FALLING INSIDE ECO SENSITIVE ZONE

Sl. No.	Village name	Tehsil	GPS Co-ordinates	
			Latitude	Longitude
1	Butunga	Bagicha	22° 56' 44.16" N	83° 48' 25.02" E
2	Gailunga	Bagicha	22° 56' 56.76" N	83° 50' 2.04" E
3	Bachhraon	Bagicha	22° 54' 9.36" N	83° 51' 59.04" E
4	Jhargaon	Bagicha	22° 55' 31.08" N	83° 55' 11.64" E
5	Gullu	Manora	22° 56' 44.16" N	83° 56' 38.04" E
6	Bene	Kunkuri	22° 54' 56.52" N	83° 56' 38.04" E
7	Jatakona	Kunkuri	22° 52' 18" N	83° 56' 22" E
8	Bodalata	Kunkuri	22° 51' 46" N	83° 55' 24" E

9	Chitakwine Tangertoli	Kunkuri	22° 51' 23" N	83° 54' 11" E
10	Charbhathi (Narayanpur)	Kunkuri	22° 86' 43" N	83° 90' 56" E
11	Sendrimunda	Kunkuri	22° 87' 54" N	83° 86' 39" E
12	Jarhatoli	Kunkuri	22° 53' 19" N	83° 50' 11" E
13	Sahidand	Bagicha	22° 54' 18.36" N	83° 49' 44.3908" E
14	Sarabkombo	Bagicha	22° 54' 32.76" N	83° 47' 20.04" E
15	Kuhapani	Bagicha	22° 55' 25.68" N	83° 46' 24.06" E
16	Jampani	Bagicha	22° 53' 33.36" N	83° 48' 55.92" E
17	Bansdhar	Bagicha	22° 56' 27" N	83° 46' 10" E
18	Bewratoli	Bagicha	22° 54' 26" N	83° 44' 02" E
19	Sutri	Bagicha	22° 56' 12" N	83° 45' 48" E
20	Bend	Bagicha	22° 56' 36" N	83° 43' 56" E
21	Jorajaam	Bagicha	22° 58' 16.32" N	83° 43' 42.24" E
22	Betra	Bagicha	22° 59' 0.96" N	83° 45' 9.36" E
23	Lamga	Bagicha	22° 59' 08" N	83° 49' 20" E
24	Dahidand	Bagicha	22° 53' 18" N	83° 44' 15" E

Annexure V

PROFORMA OF ACTION TAKEN REPORT

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

[F. No. 25/149/2015-ESZ-RE]

VED PRAKASH MISHRA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.11.04 15:55:57 +05'30'